अंक 33 । संख्या 7 । जुलाई 2026

सर्वे भवन्तु सुखिनः

# मानव अधिकार

## न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

**विचार - विमर्श**

'लू तथा शहरी क्षेत्रों में इसके शमन' विषय पर कोर ग्रुप की बैठक

'डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित धोखाधड़ी के विरूद्ध मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर ओपन परिचर्चा

**सुर्खियां**

मादक द्रव्यों का दुरुपयोगः एक मानव अधिकार संबंधी चुनौती, जिसके समाधान के लिए रोकथाम, संरक्षण और साझेदारी आवश्यक है

**लेख**

पर्यावरणीय क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन

बच्चों एवं किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य तथा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति संवेदनशीलता

# मानव अधिकार
## न्यूज़लेटर

अंक 33 । संख्या 7 । जुलाइ 2026

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**



**अध्यक्ष**
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

**सदस्य**
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

**महासचिव**
श्री भरत लाल



**संपादक**
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी



यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन छत्र संसद के आगंतुक प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, राज्य निकायों तथा अन्य संगठनों की प्रथम परामर्शदात्री बैठक को संबोधित करते हुए

# विषय-वस्तु


**मासिक विवरण**

01 महासचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से

**विचार-विमर्श**

3 'शहरी क्षेत्रों में लू एवं उसके शमन' विषय पर कोर ग्रुप की बैठक

8 'डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर ओपन हाउस चर्चा

**सुर्खियां**

12 मादक पदार्थों का दुरुपयोग: रोकथाम, संरक्षण और साझेदारी की आवश्यकता वाला एक मानव अधिकार संबंधी मुद्दा

**लेख**

13 पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन: जीवन के लिए खतरा

16 बच्चों और किशोरों मानसिक स्वास्थ्य तथा नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति संवेदनशीलता

**महत्वपूर्ण हस्तक्षेप**

18 स्वत: संज्ञान

21 राहत संबंधी संस्तुतियाँ

21 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

22 केस स्टडी

23 मौके पर पूछताछ

**क्षेत्रीय दौरे**

23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य द्वारा दौरा

**क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

25 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

28 प्रशिक्षण कार्यक्रम

30 ज्ञानार्जन दौरे

31 **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी, भारत**

32 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**

33 **संक्षेप मे समाचार**

37 **आगामी कार्यक्रम**

37 **जून 2026 में प्राप्त शिकायतें**



www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95

# मासिक सारांश

# महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार विमर्श के दायरे का निरंतर विस्तार करते हुए उन उभरती चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो लोगों के जीवन, गरिमा और कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जून 2026 के दौरान आयोग द्वारा की गई गतिविधियाँ मानव अधिकारों की ऐसी व्यापक समझ को दर्शाती हैं, जिसमें न्याय और समानता जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियाँ भी शामिल हैं।

जून 2026 में 'शहरी क्षेत्रों में लू एवं उसके शमन' विषय पर आयोजित आयोग के कोर ग्रुप की बैठक ने एक ऐसी वास्तविकता को रेखांकित किया, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। लू केवल मौसमी मौसमीय घटना नहीं रह गई है; यह जीवन, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों तथा जल तक पहुँच जैसे अधिकारों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मानव अधिकार मुद्दा बन चुकी है। तीव्र शहरीकरण और शहरी ऊष्मा द्वीप (अर्बन हीट आइलैंड) प्रभाव के कारण शहरों के अधिक गर्म होने से बाहरी श्रमिक, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, वृद्धजन, बच्चे तथा दिव्यांगजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों में शामिल हैं। विचार-विमर्श में अधिकार-आधारित एवं लचीलापन-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत बेहतर शहरी नियोजन, हरित अवसंरचना का विस्तार, प्रभावी गर्मी से निपटने की कार्य योजनातथा सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि रोके जा सकने वाले ताप-संबंधी कारणों से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, हमारी सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

> तीव्र शहरीकरण और शहरी ऊष्मा द्वीप (अर्बन हीट आइलैंड) प्रभाव के कारण शहरों के अधिक गर्म होने से बाहरी श्रमिक, सफाईकर्मी, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, वृद्धजन, बच्चे तथा दिव्यांगजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों में शामिल हैं।

इसी प्रकार, 'डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा ने प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध और मानव अधिकारों के संगम पर उभर रहे एक गंभीर खतरे का परीक्षण किया। ये धोखाधड़ी भय, अधिकार के दुरुपयोग और डिजिटल कमजोरियों का लाभ उठाकर नागरिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों को निशाना बनाती हैं। आर्थिक हानि के अतिरिक्त, ऐसे अपराध व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा, निजता और विश्वास को भी प्रभावित करते हैं। इस चर्चा में नीति-निर्माताओं, नियामक संस्थाओं, विधिप्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर रोकथाम, पीड़ित सहायता तथा जवाबदेही को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। जैसे-जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही हैं, वैसे-वैसे नागरिकों को डिजिटल शोषण से सुरक्षित रखना 21वीं सदी में मानव अधिकार संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम बनता जा रहा है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की समस्या को भी और अधिक गंभीर बना दिया है। वैश्विक स्तर पर विशेषकर युवाओं के बीच नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों का उन्मूलन एक बड़ी चुनौती बन गया है।

इन चुनौतियों को रेखांकित करने तथा विश्व समुदाय को इनके समाधान हेतु मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 जून को 'मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। जुलाई न्यूज़लेटर के 'सुर्खियां' स्तंभ में इस विषय पर एक जानकारीपूर्ण लेख प्रकाशित किया गया है, जो व्यक्तियों, परिवारों, समाज और राष्ट्रों के मानव अधिकारों पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है।

समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ आयोग अपने इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकारों के भावी संरक्षकों को तैयार करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रीष्मकालीनइंटर्नशिप कार्यक्रम 2026 के लिए देशभर के विद्यार्थियों से प्राप्त अभूतपूर्व उत्साहजनक प्रतिक्रिया न्याय, समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। विभिन्न शैक्षणिक विषयों, संस्थानों और क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को एक साथ लाकर यह कार्यक्रम सीखने, संवाद और चिंतन का एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। विशेषज्ञों के साथ संवाद, क्षेत्रीय भ्रमण तथा अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी मानव अधिकारों को केवल कानूनी अवधारणाओं के रूप में नहीं, बल्कि सहानुभूति, करुणा और दूसरों की सेवा जैसे मूल्यों पर आधारित जीवन-दृष्टि के रूप में समझते हैं।

ये सभी पहलें इस महत्वपूर्ण सत्य को रेखांकित करती हैं कि मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर विकसित होना चाहिए। चाहे अत्यधिक गर्मी के प्रभावों का सामना करना हो, साइबर अपराध के नए रूपों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो अथवा भावी नेतृत्व तैयार करना हो, हमारा मूल सिद्धांत एक ही है—मानव गरिमा की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि विकास, प्रौद्योगिकी और सुशासन अंततः प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण की सेवा करें।

इस माह मैंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव के रूप में अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में योगदान देने की यह यात्रा मेरे लिए अत्यंत विनम्रतापूर्ण और गहन रूप से समृद्ध करने वाला अनुभव रही है। मानव अधिकारों की स्थापना और संरक्षण की यात्रा प्रत्येक समाज के लिए एक सतत और अपूर्ण प्रक्रिया है। यह हम सभी से अपेक्षा करती है कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर कमजोर और वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की गरिमा कम न होने पाए। हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण, करुणामय और समावेशी समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही भारत की सभ्यतागत विरासत और संवैधानिक मूल्यों की स्थायी भावना का सार है। मैं उन सभी व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे सहयोग, प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारियों का सर्वोत्तम निर्वहन कर सका। मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता न्याय, गरिमा और करुणा जैसे शाश्वत मूल्यों के मार्गदर्शन में निरंतर बनी रहनी चाहिए।

जुलाई माह के इस न्यूज़लेटर में आयोग की अन्य नियमित गतिविधियों और हस्तक्षेपों का भी समावेश किया गया है, जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं। हमें आशा है कि पाठकों को इसकी सामग्री जानकारीपूर्ण, विचारोत्तेजक और उपयोगी लगेगी तथा यह समकालीन मानव अधिकार संबंधी मुद्दों की समझ को समृद्ध करने और उनके समाधान हेतु किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने में योगदान देगी।

**[भरत लाल]**
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## विचार- विमर्श

# लू एवं शहरी क्षेत्रों में उसका शमन

अत्यधिक गर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य, आजीविका और मानव कल्याण के लिए तेजी से एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव कमजोर एवं वंचित समुदायों पर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान, तीव्र शहरीकरण और बदलती जलवायु परिस्थितियों ने लू से संबंधित बीमारियों, मृत्यु, उत्पादकता में कमी तथा पर्यावरणीय दबाव के जोखिम को बढ़ा दिया है, जिससे इस चुनौती से निपटने के लिए त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गई है। इन चुनौतियों का समाधान वैज्ञानिक आकलन, संस्थागत तैयारी, जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, सामाजिक सुरक्षा उपायों तथा जन-जागरूकता को सम्मिलित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से ही संभव है, ताकि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके और लू से उत्पन्न जोखिमों के विरुद्ध दीर्घकालिक लचीलापन विकसित किया जा सके।

3 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'लू एवं शहरी क्षेत्रों में उसका शमन' विषय पर पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी अपने कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन में हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न हितधारकों की अत्यंत सार्थक एवं व्यापक भागीदारी रही। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष सर्दियों में प्रदूषण और गर्मियों में लू पर चर्चा होती रही है, किंतु इन संकटों से मानव जीवन की रक्षा हेतु किए जा रहे शमन प्रयासों का कोई स्पष्ट प्रभाव दिखाई नहीं देता। बैठक में आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा; संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक; कोर ग्रुप के सदस्य, विशेष प्रतिवेदक, विशेष मॉनीटर, भारत सरकार एवं विभिन्न अर्ध-सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी, अहमदाबाद एवं इंदौर के नगर आयुक्त, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि मानव अधिकारों का विकास प्रारंभ में प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों पर केंद्रित रहा, जबकि पर्यावरणीय अधिकारों की लंबे समय तक उपेक्षा होती रही। यद्यपि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) 1948 में अपनाई गई थी, लेकिन पर्यावरणीय अधिकारों पर गंभीर विमर्श लगभग 1970 के बाद प्रारंभ हुआ, जब पर्यावरणीय क्षरण और बड़े पारिस्थितिकीय संकटों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ी।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति ने जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सदस्यों, न्यायमूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षंड़गी, श्रीमती विजया भारती, महासचिव, श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति में कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

प्रतिभागियों का एक वर्ग

वाली लू की समस्या को इतना बढ़ाया कि इसका वास्तविक एहसास तब हुआ जब इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगा। उन्होंने कहा कि यदि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो महात्मा गांधी ने कभी पूरे देश के औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की थी। उनका विचार था कि प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर हो, किंतु इसके विपरीत हुआ और गाँवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शहरों में 'कंक्रीट के जंगलों' के विस्तार ने भी बढ़ते तापमान और लू की समस्या को और गंभीर बनाया है। उन्होंने कहा कि दशकों में पर्यावरण को हुई क्षति को पूरी तरह पलटना संभव नहीं है, इसलिए अब हमारा ध्यान उसके प्रभावों को कम करने पर होना चाहिए। समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने जलाशयों और वनों के विनाश को बढ़ते तापीय तनाव का प्रमुख कारण बताते हुए मौजूदा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, जलाशयों के आसपास निर्माण गतिविधियों पर कड़े नियमन तथा सतत शहरी विकास पर आधारित व्यावहारिक सिफारिशों की आवश्यकता पर बल दिया।

आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रकृति संरक्षण, हरित क्षेत्रों के विस्तार तथा भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

बैठक के प्रारंभ में आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन संबोधन में पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित किए जाने की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने लू को पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक गंभीर एवं बढ़ती मानव अधिकार चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव निर्माण श्रमिकों, बाहरी श्रमिकों, गिग वर्करों, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं तथा पर्याप्त आवास या शीतलन सुविधाओं से वंचित लोगों जैसे संवेदनशील वर्गों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लू एक अत्यंत गंभीर चुनौती बनती जा रही है तथा हाल के वर्षों में देशभर में लू से होने वाली मृत्यु की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जीवन, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल मानव अधिकार है। उन्होंने कहा कि आयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगातार सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करता रहा है। उन्होंने बताया कि अनेक राज्यों और नगर निगमों ने अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पहल की है, किंतु इसके बावजूद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार लू से होने वाली मृत्यु की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

उन्होंने बैठक के तीन विषयगत सत्रों का भी उल्लेख किया, जिनमें (क) लू और उसके मानव अधिकारों पर प्रभाव को समझना, (ख) शहरी क्षेत्रों में लू से निपटने के लिए शासन व्यवस्था एवं नगर-स्तरीय प्रतिक्रिया, तथा (ग) शहरी क्षेत्रों में लचीली एवं समावेशी शीतलन व्यवस्था के लिए अधिकार-आधारित उपाय शामिल थे। उन्होंने प्रतिभागियों से अल्पकालिक, मध्यमकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाने का अनुरोध किया, ताकि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लू के प्रभाव को कम किया जा सके तथा लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा की जा सके।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सतत प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रो. (सेवानिवृत्त) एन. एच. रविंद्रनाथ ने लू की परिभाषा को अधिक व्यापक

बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें आर्द्रता, वनस्पति तथा भूमि की सतही परिस्थितियों जैसे कारकों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने वार्ड-स्तरीय पूर्वानुमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवेदनशीलता मानचित्रण, अधिक प्रभावी हीट एक्शन प्लान, समर्पित 'हीट अधिकारी' नियुक्त करने तथा संवेदनशील श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता बताई। उन्होंने भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि जून माह में कई राज्यों में सामान्य से अधिक लू वाले दिनों की संभावना है। उन्होंने आईएमडी की बहु-स्तरीय पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली का उल्लेख करते हुए बताया कि रेहड़ी - पटरी विक्रेताओं और गिग वर्करों जैसे संवेदनशील वर्गों तक सीधे गर्नी की चेतावनी और परामर्श पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार (नीति एवं योजना तथा सीबीटी) श्री एस. राकेश कुमार ने बताया कि लू से प्रभावित सभी 23 राज्यों में अब गर्मी से निपटने की कार्य योजनातैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने जिला एवं नगर स्तर पर अधिक सुदृढ़ योजना, क्रियान्वयन तंत्र का संस्थागतकरण, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रभावी रिपोर्टिंग व्यवस्था तथा लू से संबंधित शमन उपायों के लिए समर्पित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लोक स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती जी. एस. चित्रा ने कहा कि मंत्रालय परामर्शों और जलवायु-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों को सुदृढ़ कर रहा है तथा जलवायु परिवर्तन और लू के बढ़ते स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. आकाश श्रीवास्तव, अपर निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आगाह किया कि वर्ष 2035 तक गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्मी और स्वास्थ्य से जुड़ी कार्य योजनाएँ का विस्तार, निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने, चिकित्सा कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण तथा अस्पतालों की बेहतर तैयारी पर बल दिया। श्री वी. के. चौरसिया, सलाहकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शीतलन कार्य योजनाओं, जल निकायों के पुनर्जीवन, शहरी हरितीकरण, कूल रूफ, सतत परिवहन तथा जलवायु-अनुकूल शहरी अवसंरचना के माध्यम से शहरी नियोजन में ताप-लचीलापन को एकीकृत करने का समर्थन किया।

श्री रजनीश सरीन, कार्यक्रम निदेशक, सतत भवन एवं आवास कार्यक्रम, सीएसई ने श्रमिक-केंद्रित ताप सुरक्षा प्रोटोकॉल, शहर-स्तरीय तापमान वेधशालाओं के विस्तार, विकेन्द्रित हरित एवं नीली अवसंरचना तथा प्रदर्शन-आधारित मानकों को अपनाने का आह्वान किया, ताकि शहरी ताप को कम किया जा सके और जलवायु अनुकूलन बढ़ाया जा सके। डॉ. अनिल कुमार मिश्रा, अपर सचिव, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण ने अत्यधिक गर्मी के समय कार्य से बचने के लिए कार्य घंटों में परिवर्तन, शहरी हरित क्षेत्रों की शीतलता के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग का विस्तार, वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा शहरों में ताप-नियंत्रक वनस्पति आवरण बढ़ाने का सुझाव दिया।

डॉ. आरती खोसला, संस्थापक-निदेशक,

जारी बैठक का परिदृश्य

क्लाइमेट ट्रेंड्स ने गर्मी से निपटने की कार्य योजनामें संवेदनशीलता-आधारित प्राथमिकता निर्धारण, किफायती एवं संरचनात्मक शीतलन समाधानों को बढ़ावा देने, गिग एवं असंगठित श्रमिकों को गर्मी के दुष्प्रभावों से संरक्षण, गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों पर बेहतर डेटा पारदर्शिता तथा बढ़ते जलवायु एवं ताप जोखिमों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच मजबूत समन्वय और जन-जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। श्री विमल मीणा, निदेशक (सुरक्षा) एवं एचओओ, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविदा एवं असंगठित श्रमिकों को समान कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करने तथा ताप तनाव एवं लू के शुरुआती लक्षणों और उनकी रोकथाम के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।

सुश्री प्रेरणा ओझा, शोध विश्लेषक, सीईईडब्ल्यू ने जोखिम-आधारित मानचित्रण, तैयारी योजना, संवेदनशील वार्डों के लिए लक्षित हस्तक्षेप, निगरानी एवं मूल्यांकन ढाँचे, लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गतिशील अद्यतन तथा ताप-लचीलापन बढ़ाने हेतु मौजूदा अवसंरचना के पुनरोद्धार के माध्यम से गर्मी से निपटने की कार्य योजनाविकसित करने में अपने कार्य पर प्रकाश डाला। श्री सुंदरम वर्मा, पर्यावरणविद् ने वनों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए वनीकरण प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया। श्री क्षितिज सिंघल, नगर आयुक्त, इंदौर ने तीव्र शहरीकरण, वित्तीय एवं मानव संसाधन की कमी तथा विभिन्न नागरिक प्राथमिकताओं जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इंदौर ने संवेदनशील आवासीय क्षेत्रों में सौर-परावर्तक रूफ कोटिंग जैसे कम लागत वाले उपायों के माध्यम से ताप-लचीलापन बढ़ाने के प्रयास किए हैं।

डॉ. एच. एस. गिनवाल, उप महानिदेशक, आईसीएफआरई, देहरादून ने शहरी हरित आवरण बढ़ाने तथा ताप को कम करने के लिए परावर्तक छतों के उपाय अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करने का भी आग्रह किया। श्री निरंजन देव भारद्वाज, विशिष्ट सलाहकार, पर्यावरण और मानव कल्याण की उन्नति के लिए वैश्विक संस्थान ने वार्ड-स्तरीय ताप जोखिम मानचित्रण, हाइपरलोकल ताप संबंधी जानकारी, डिजिटल चेतावनी प्रणाली, बाहरी श्रमिकों की सुरक्षा, शहरी नियोजन में ताप-लचीलापन के समावेशन तथा लू के लिए समर्पित वित्तीय एवं संस्थागत तैयारी के माध्यम से प्रतिक्रियात्मक के बजाय पूर्वानुमान-आधारित ताप शासन की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री बंच्छानिधि पाणि, नगर आयुक्त, अहमदाबाद ने अहमदाबाद के अग्रणी गर्मी से निपटने की कार्य योजनाकी चर्चा करते हुए बताया कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, शहरी हरितीकरण, कूल रूफ, छायादार सार्वजनिक स्थान, सूक्ष्म-स्तरीय ताप जोखिम मानचित्रण, श्रमिक सुरक्षा उपाय, जन-

▶ बैठक के ऑनलाइन प्रतिभागी

जागरूकता अभियान तथा जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन के माध्यम से गर्मी से होने वाली मौतों में कमी लाई गई है। डॉ. प्रमोद कांत, सहायक प्रोफेसर, वन्यजीव संरक्षण का उन्नत संस्थान, चेन्नई ने परावर्तक छतों एवं पेंट जैसे किफायती शीतलन उपायों, तत्काल शीतलन लाभ हेतु बड़े पौधों के प्रतिरोपण तथा विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों के आसपास छाया आवरण बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। डॉ. प्रेरणा जोशी, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम ने बाहरी श्रमिकों के लिए ताप-सुरक्षा उपायों के कानूनी प्रवर्तन, निम्न आय वर्ग के लिए निष्क्रिय एवं ऊर्जा-कुशल शीतलन समाधानों को बढ़ावा देने, लूचेतावनियों की व्यापक उपलब्धता तथा विकेन्द्रित हरित क्षेत्रों एवं सूक्ष्म वनों के माध्यम से शहरी हरित आवरण मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया।

श्रीमती पैट्रिशिया मुखीम, संपादक, द शिलांग टाइम्स ने कहा कि पर्यावरणीय कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, नदियों, आर्द्रभूमियों एवं वनों का क्षरण तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर अतिक्रमण उत्तर-पूर्व में जलवायु संवेदनशीलता के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने जल निकायों, हरित क्षेत्रों एवं वन आवरण के अधिक सशक्त संरक्षण का आह्वान किया। श्री गौतम तालुकदार, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ताप आकलन में भूमि सतह तापमान को शामिल करने, बड़े प्रतिष्ठानों से होने वाले ताप उत्सर्जन की निगरानी, शहरी नीली-हरित अवसंरचना की निगरानी हेतु शहर जैव-विविधता सूचकांक का उपयोग तथा अनुपयुक्त अनुकूलन उपायों से बचने की वकालत की।

डॉ. शालिनी ध्यानी, वैज्ञानिक-ई, सीएसआईआर-नीरी ने शहरी हरित क्षेत्रों के असमान वितरण को दूर करने, पारिस्थितिक गलियारों एवं आर्द्रभूमि बफर क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने, पारिस्थितिकी-आधारित शहरी नियोजन अपनाने, सुलभ सार्वजनिक हरित क्षेत्रों का विस्तार करने तथा संवेदनशील श्रमिकों के लिए ताप-संवेदनशील कार्य समय लागू करने की आवश्यकता बताई। श्री सुनील शर्मा, संयुक्त निदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी चरणबद्ध कार्य पाली, बेहतर शहरी जीवन परिस्थितियाँ, शहरी उद्यानों में अधिक निवेश तथा ताप तनाव कम करने के लिए पर्यावरण एवं नियोजन उपायों के सख्त प्रवर्तन का समर्थन किया। श्री वी. बी. कुमार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेष मॉनीटर ने भवन एवं शहरी नियोजन मानकों के अनुपालन का लेखापरीक्षाकरने, अनिवार्य एवं प्रोत्साहन-आधारित उपायों के माध्यम से हरित अवसंरचना को बढ़ावा देने, ताप संबंधी विभिन्न योजनाओं को एकीकृत निगरानी मंच पर लाने तथा लूसूचकांक विकसित करने का आह्वान किया।

चर्चा से प्राप्त प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे:

- जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भूमि सतह तापमान तथा सामाजिक संवेदनशीलता संकेतकों का उपयोग करते हुए वार्ड-स्तरीय ताप संवेदनशीलता एवं ताप-लचीलापन मानचित्र विकसित किए जाएँ, जिन्हें स्थानीय पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा समग्र गर्मी के प्रति संवेदनशीलता सूचकांकका समर्थन प्राप्त हो;

- सभी राज्यों, जिलों एवं शहरों में समर्पित हीट अधिकारियों, एकीकृत शासन डैशबोर्ड, नियमित निगरानी तथा अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से गर्मी से निपटने की कार्य योजना का संस्थागतकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए;

- एकीकृत, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिपोर्टिंग एवं डेटा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लू से होने वाली मृत्यु एवं रोग संबंधी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए;

- व्यावसायिक ताप-सुरक्षा मानकों, सामाजिक सुरक्षा उपायों, सामुदायिक शीतलन केंद्रों, सुलभ सार्वजनिक हरित क्षेत्रों तथा प्रवासी, गिग श्रमिक, महिलाएँ, बच्चे, वृद्धजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से संवेदनशील आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए;

- विशेष हीटस्ट्रोक प्रबंधन इकाइयों, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, आपातकालीन शीतलन उपकरणों, एम्बुलेंस तथा चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पाठ्यक्रमों में ताप-स्वास्थ्य शिक्षा के समावेशन के माध्यम से ताप-स्वास्थ्य तैयारी को सुदृढ़ किया जाए;

- निष्क्रिय शीतलन, कूल रूफ, परावर्तक सामग्री, मौजूदा भवनों के पुनरोद्धार, वेंटिलेशन कॉरिडोर तथा जलवायु-अनुकूल भवन मानकों सहित ताप-प्रतिरोधी एवं जलवायु-संवेदनशील शहरी डिज़ाइन को अनिवार्य बनाया जाए;

- शहरी हरित आवरण, देशी वृक्षारोपण, शहरी वन, हरित गलियारे, आर्द्रभूमि बफर क्षेत्रों तथा नदियों, झीलों, आर्द्रभूमियों एवं अन्य नीली-हरित अवसंरचना के पुनर्जीवन के माध्यम से प्रकृति-आधारित समाधानों का विस्तार किया जाए;

- वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग तथा शहरी जल निकायों एवं जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण के माध्यम से सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए;

- अपशिष्ट ताप उत्सर्जन को विनियमित किया जाए, भवनों एवं आवासीय परिसरों के लिए ताप-लचीलापन रेटिंग लागू की जाए तथा पर्यावरण, भवन एवं शहरी नियोजन नियमों के प्रवर्तन को समय-समय पर अनुपालन लेखापरीक्षाके माध्यम से सुदृढ़ किया जाए;

- बहुभाषी, सुलभ एवं समुदाय-आधारित जनसंपर्क, जिसमें डिजिटल रूप से वंचित आबादी के लिए आवाज़-आधारित चेतावनियाँ भी शामिल हों, के माध्यम से जन-जागरूकता एवं जोखिम संचार को सुदृढ़ किया जाए; तथा

- समर्पित वित्तपोषण एवं सभी स्तरों पर संस्थागत समर्थन के साथ शहरों की मास्टर प्लान, विकास योजनाओं, नगर निगम बजट तथा जलवायु कार्यनीतियों में ताप-लचीलापन को मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

आयोग इन सुझावों पर आगे भी विचार-विमर्श करेगा ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार की जा सकें।

# 'डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर ओपन हाउस चर्चा

मानव अधिकारों की रक्षा के अपने सतत दायित्व के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से कोर ग्रुप बैठकों, ओपन हाउस चर्चाओं तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है, ताकि प्रणालीगत कमियों की पहचान की जा सके तथा व्यावहारिक नीतिगत सुधारों का सुझाव दिया जा सके। इसी सक्रिय दृष्टिकोण के अनुरूप आयोग ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में 'डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के विरुद्ध मानव अधिकारों का संरक्षण' विषय पर एक उच्चस्तरीय ओपन हाउस चर्चा आयोजित की।

हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले साइबर-सक्षम धोखाधड़ी के सबसे चिंताजनक रूपों में उभरकर सामने आए हैं। ये घोटाले भय, प्राधिकरण पर लोगों के विश्वास तथा डिजिटल जागरूकता की कमी का लाभ उठाकर लोगों को अपनी जीवनभर की बचत गंवाने के लिए धोखा देते हैं। वित्तीय हानि पहुँचाने के अतिरिक्त ये घोटाले गंभीर मानसिक आघात पहुँचाते हैं, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं, निजता का उल्लंघन करते हैं तथा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। चूँकि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ शासन, संचार और वित्तीय लेन-देन का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं, इसलिए ऐसे अपराधों का समाधान मानव अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। नीति-निर्माताओं, विधिप्रवर्तन एजेंसियों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी मंचों तथा नागरिक समाज की समन्वित भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने इस बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निवारक उपायों, पीड़ित संरक्षण तंत्र तथा विधिक सुधारों पर विचार-विमर्श हेतु यह ओपन हाउस चर्चा आयोजित की।

चर्चा की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से उत्पन्न बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला तथा कहा कि इनका व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस चर्चा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, कोर ग्रुप के सदस्य, विशेष प्रतिवेदक, विशेष मॉनीटर, भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम, विधि एवं विषय विशेषज्ञों तथा दूरसंचार ऑपरेटरों एवं बैंकिंग तथा फिनटेक संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को लगभग 52,976 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 8 प्रतिशत हानि डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के कारण हुई है। यह आँकड़ा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आधार पर संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों में ठगों ने विधिप्रवर्तन एजेंसियों के प्रति लोगों के मन में व्याप्त भय का लाभ उठाकर पीड़ितों को धन हस्तांतरित करने के लिए विवश किया।

उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के लिए अपनी खोई हुई राशि का कुछ हिस्सा भी वापस प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि कानूनी एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रिया लंबी, महंगी और कष्टदायक होती है। कई बार धन की वसूली की प्रक्रिया स्वयं धन गंवाने की प्रक्रिया से भी अधिक पीड़ादायक बन जाती है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश में बड़ी संख्या में म्यूल खाते मौजूद हैं, जिनका उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त धन के हस्तांतरण में किया जाता है।

पीड़ितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा पर बल देते हुए उन्होंने ऐसे व्यावहारिक सुझावों का आह्वान किया, जिनसे इस प्रकार की धोखाधड़ी को

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सदस्यों, न्यायमूर्ति डॉ बिद्युत रंजन षंड़गी, श्रीमती विजया भारती, महासचिव, श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति में कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कानूनी ढाँचे की कमियों को दूर कर, विधिप्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया में सुधार कर तथा डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित कर धन-वसूली तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना, पीड़ितों की वित्तीय सुरक्षा बहाल करना तथा उन्हें पुनः सम्मानजनक जीवन और मानसिक शांति प्रदान करना आवश्यक होगा। उन्होंने नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए लंबे समय तक चलने वाली ओटीटी कॉलों पर चेतावनी संदेश जैसी व्यवस्थाओं पर भी विचार करने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं में कई कमियाँ हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस

ऑनलाइन प्रतिभागियों का एक वर्ग

प्रकार की चर्चाएँ शीघ्र ही व्यावहारिक समाधान विकसित करने में सहायक होंगी। सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से नागरिकों की सुरक्षा राजधर्म का अनिवार्य विस्तार है। उन्होंने कहा कि निवारक कार्रवाई केवल प्रौद्योगिकी और विनियमन का विषय नहीं, बल्कि सुशासन की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा सामूहिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार न बने।

इससे पूर्व, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में इस ओपन हाउस चर्चा के आयोजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का सर्वाधिक प्रभाव वृद्ध व्यक्तियों, विशेषकर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, पेशेवरों, उद्योगपतियों और बैंकरों पर पड़ता है, जिससे उन्हें केवल आर्थिक हानि ही नहीं होती, बल्कि उनकी गरिमा, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जानकारी का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्ष वरिष्ठ नागरिकों को लक्ष्य बनाकर किए गए ऐसे 3,000 से अधिक मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी डेटा लीक और अन्य स्रोतों से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिससे डेटा गोपनीयता और संरक्षण संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं। डिजिटल शासन और वित्तीय प्रणालियों के विस्तार के साथ अपराधियों के लिए तेज़ी से धोखाधड़ी करना और धन का हस्तांतरण करना आसान हो गया है। उन्होंने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने तथा साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रभावी सहायता एवं राहत उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री लाल ने कहा कि आयोग ने इस विषय को चर्चा के लिए तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया है, ताकि आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सके। ये हैं (क) डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में वृद्धि के कारणों तथा प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान, (ख) डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम हेतु निवारक उपायों का निर्माण तथा (ग) शिकायत निवारण, मुआवजा एवं पीड़ित सहायता तंत्र को सुदृढ़ बनाना। उन्होंने विशेषज्ञों से इन विषयों पर अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया ताकि आयोग अपनी आगे की कार्यवाही को अंतिम रूप दे सके।

डिजिटल घोटालों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार ने बताया कि एक अंतर-विभागीय समिति डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम से लेकर मुआवजा तक के उपायों पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत निर्णय एवं मुआवजा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है तथा विश्वास व्यक्त किया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढाँचे के प्रभावी क्रियान्वयन से नागरिकों के डेटा की सुरक्षा मजबूत होगी और डेटा संबंधी चिंताओं का समाधान होगा।

सुश्री रूपा एम., पुलिस महानिरीक्षक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने cybercrime.gov.in पोर्टल, हेल्पलाइन 1930 तथा पीड़ितों के धन का पता लगाने, रोकने और वापस दिलाने के लिए विकसित सीएफसीएफआरएमएस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। उन्होंने सरकारी लोगो के दुरुपयोग, सिम बॉक्स तथा म्यूल खातों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मुक्तेश चंदर, विशेष मॉनीटर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सिम कार्ड एवं बैंक खातों के बेहतर विनियमन, ठगों द्वारा लोगों में उत्पन्न किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक भय से निपटने, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने तथा पीड़ित को दोषी ठहराने के बजाय पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। श्री बृजेश सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र ने साइबर अपराध को डेटा उल्लंघनों, म्यूल नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित औद्योगिक स्तर का अपराध बताते हुए 'गोल्डन ऑवर' में स्वचालित हस्तक्षेप, राष्ट्रीय साइबर अपराध बल, डीपीडीपी विधिके प्रभावी प्रवर्तन, पीड़ित मुआवजा तथा मनोवैज्ञानिक सहायता का समर्थन किया।

▶ जारी चर्चा का परिदृश्य

श्री आर. वनराजा, मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े अपराधों के पैटर्न की पहचान करने तथा चेतावनी उत्पन्न करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और एकल सरकारी संचार माध्यम विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बैंक खातों के दुरुपयोग के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा वास्तविक ग्राहकों की सुविधा और धोखाधड़ी की रोकथाम के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री राजीव रंजन प्रसाद, वरिष्ठ सलाहकार, भारतीय बैंक संघ ने डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए जा रहे उपायों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित म्यूल खातों की पहचान, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप सुविधा तथा प्रस्तावित भारतीय डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। उन्होंने उच्च मूल्य के लेन-देन में संवेदनशील ग्राहकों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित 'विश्वसनीय व्यक्ति' व्यवस्था का भी उल्लेख किया।

श्री रमेश कृष्णमूर्ति, मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी, एनपीसीआई ने ग्राहक जागरूकता के लिए एनपीसीआई द्वारा किए जा रहे प्रयासों, जिनमें जागरूकता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित धोखाधड़ी निगरानी तथा विधिप्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करना शामिल है, पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री संजीव कुमार शर्मा, उप महानिदेशक (एआई एवं डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट), दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पहल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय कॉल स्पूफिंग की पहचान तथा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैसे निवारक उपायों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों के अधिक प्रभावी विनियमन, वास्तविक समय में डेटा साझाकरण तथा शिकायतों को एफआईआर में शीघ्र परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुश्री आस्था मोदी, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने कहा कि बड़े पैमाने पर होने वाले डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों का संचालन दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित साइबर धोखाधड़ी परिसरों से किया जाता है तथा ये म्यूल खातों, दूरसंचार अवसंरचना, सोशल मीडिया मध्यस्थों और मानव दुर्व्यापार नेटवर्क के माध्यम से संचालित होते हैं। उन्होंने म्यूल खातों के नेटवर्क, दूरसंचार अवसंरचना, सोशल मीडिया मध्यस्थों तथा मानव दुर्व्यापार नेटवर्क के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख किया तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के नोटिस एवं समन के सत्यापन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट की जानकारी दी।

श्री अशोक कुमार, संयुक्त सलाहकार, ट्राई ने वॉयस कॉल, संदेश और वीडियो कॉल के लिए उपयोग किए जाने वाले ओटीटी संचार प्लेटफॉर्मों को उपयुक्त नियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अधिकांश डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी अब ओटीटी माध्यमों पर स्थानांतरित हो चुकी है। उन्होंने असामान्य रूप से लंबी कॉल के दौरान चेतावनी अथवा व्यवधान जैसी व्यवस्थाएँ विकसित करने का भी सुझाव दिया ताकि डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों को रोका जा सके। मेजर विनीत कुमार, संस्थापक एवं वैश्विक अध्यक्ष, साइबर पीस फाउंडेशन ने सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों, नागरिक समाज तथा नागरिकों की साझा जिम्मेदारी पर आधारित मॉडल की वकालत की तथा प्रशिक्षित प्रथम प्रत्युत्तरकर्ताओं की 'मानव फायरवॉल' तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने साइबर अपराध से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता तथा पहली बार साइबर अपराध में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों एवं किशोरों के पुनर्वास उपायों पर भी बल दिया।

सुश्री एन. एस. नप्पिनाई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से जुड़े मानव अधिकार संबंधी पहलुओं, जिनमें मानव दुर्व्यापार, निजता, जीवन एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन तथा मानसिक आघात शामिल हैं, पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुनर्स्थापनात्मक न्याय, पीड़ितों के प्रतिकर के अधिकार तथा साझा दायित्व ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. पवन दुग्गल, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानूनों के अंतर्गत डिजिटल गिरफ्तारी एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है तथा इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अथवा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पृथक अपराध के रूप में शामिल किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उच्च मूल्य के लेन-देन के लिए वैधानिक 'सर्किट ब्रेकर', डिजिटल गिरफ्तारी पीड़ित कोष की स्थापना, डिजिटल गिरफ्तारी को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में मान्यता देने तथा ऐसे घोटालों से होने वाले गरिमा, निजता एवं मानसिक अखंडता के उल्लंघन से निपटने हेतु अधिक प्रभावी उपाय अपनाने का भी आह्वान किया।

श्री राहुल वत्स, मुख्य नियामक अधिकारी, एयरटेल ने बताया कि ग्राहकों के 97–98 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग कार्य आधार केवाईसी के माध्यम से किए जाते हैं, जिन्हें बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर लाइव फोटोग्राफ तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का समर्थन प्राप्त होता है। उन्होंने 14 विभिन्न भाषाओं में संदिग्ध स्पैम कॉल एवं एसएमएस की पहचान करने, धोखाधड़ी वाले लिंक का पता लगाकर उन्हें अवरुद्ध करने तथा चल

बैठक का एक दृश्य

रही कॉल के दौरान ओटीपी साझा किए जाने पर चेतावनी जारी करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की जानकारी दी।

डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा, महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार के साथ-साथ साइबर अपराध भी एक नई चुनौती के रूप में उभरा है, जिसमें देश के एक अरब से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति संभावित रूप से संवेदनशील हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कानूनी कमियों, अंतर-एजेंसी समन्वय, क्षमता निर्माण, पुनर्वास तथा पीड़ितों के मुआवजे जैसे विषयों की समीक्षा के लिए विषय-आधारित उप-समितियों का गठन कर सकता है।

चर्चा से प्राप्त अन्य प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

- प्रभावी जांच, अभियोजन तथा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों को वर्तमान विधिक ढाँचे के अंतर्गत एक पृथक अपराध के रूप में मान्यता दी जाए;
- विधिक ढाँचे को सुदृढ़ करते हुए म्यूल खातों को किराये पर उपलब्ध कराने, जबरन आपराधिक गतिविधियों के लिए मानव दुर्व्यापार तथा सरकारी प्रतीकों एवं लोगो के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध बनाया जाए;
- धन के दबावपूर्वक हस्तांतरण को रोकने के लिए लेन-देन संबंधी 'सर्किट ब्रेकर', विश्वसनीय व्यक्ति प्रमाणीकरण, संदिग्ध लेन-देन का अस्थायी निलंबन तथा लंबी अवधि की कॉल के दौरान चेतावनी जैसी स्वचालित सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए;
- पीड़ितों के लिए धन की वापसी एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया जाए ताकि प्रक्रियागत विलंब और कठिनाइयों को कम किया जा सके;
- धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं सहित संपूर्ण डिजिटल पारितंत्र में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए;
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध न्यायनिर्णयन तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि पीड़ितों को प्रभावी राहत मिले तथा मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके;
- जिन पीड़ितों को गंभीर आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है, उनके लिए समर्पित मुआवजा एवं सहायता तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाए;
- लेन-देन के पैटर्न के विश्लेषण तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित सूचना साझाकरण के माध्यम से संभावित पीड़ितों की पूर्व पहचान एवं समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था विकसित की जाए;
- नागरिकों को विधिप्रवर्तन एजेंसियों की पहचान, नोटिस एवं अन्य संचार की प्रामाणिकता सत्यापित करने हेतु एकल सरकारी संचार माध्यम अथवा सत्यापन पोर्टल विकसित करने की संभावना पर विचार किया जाए;
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक तथा कृत्रिम पहचान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग द्वारा किए जाने वाले साइबर-सक्षम धोखाधड़ी अपराधों से निपटने के लिए विशेष उपाय किए जाएँ;
- वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा उपाय विकसित किए जाएँ, क्योंकि वे डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों का सबसे अधिक शिकार बनते हैं;
- विभिन्न देशों में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क तथा साइबर धोखाधड़ी परिसरों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाए;
- जन-जागरूकता अभियानों में धोखेबाजों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवहारिक हेरफेर की रणनीतियों, जैसे प्रतिरूपण, भय उत्पन्न करना तथा प्राधिकरण पर विश्वास का दुरुपयोग, पर विशेष ध्यान दिया जाए;
- विधिप्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ ताकि रोकथाम, जांच एवं पीड़ित सहायता को अधिक प्रभावी बनाया जा सके;
- यह सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए कि विधिप्रवर्तन एजेंसियों को डेटा संबंधी अनुरोधों, समन तथा सामग्री हटाने की कार्रवाई के लिए मध्यस्थों के शिकायत निवारण अधिकारियों एवं अनुपालन अधिकारियों के संपर्क विवरण समय पर उपलब्ध हो सकें।

आयोग इन सुझावों पर आगे भी विचार-विमर्श करेगा ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार की जा सकें।

सुर्खियां

# मादक पदार्थों का दुरुपयोग: रोकथाम, संरक्षण और साझेदारी की आवश्यकता वाला एक मानव अधिकार संबंधी मुद्दा

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोध दिवस विश्व की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वर्ष 2026 का विषय 'विश्व मादक पदार्थ समस्या : निरंतर बनी चुनौतियाँ, नई चुनौतियाँ और नवोन्मेषी समाधान' मादक पदार्थों की समस्या के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। आज विश्व के अनेक देश कृत्रिम मादक पदार्थों के तीव्र प्रसार, ओपिओइड आपूर्ति की नई श्रृंखलाओं तथा मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क द्वारा डिजिटल मंचों के बढ़ते उपयोग जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत में सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग तथा उनकी तस्करी को एक प्रमुख सामाजिक एवं जनस्वास्थ्य चुनौती के रूप में चिन्हित किया है। यह समस्या केवल विधिप्रवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों तथा सार्वजनिक सुरक्षा को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक गंभीर मानव अधिकार संबंधी चिंता भी है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, जीवन, गरिमा, शिक्षा और आजीविका के अधिकारों को प्रभावित करता है तथा समाज पर भारी सामाजिक एवं आर्थिक बोझ डालता है। युवा वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील समूहों में शामिल है, क्योंकि नशे की लत उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, रोजगार के अवसरों को सीमित करती है तथा सामाजिक बहिष्कार का कारण बनती है। दूसरी ओर, मादक पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, धन शोधन तथा बढ़ते हुए नार्को-आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

2 जुलाई 2026 को प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञप्ति में रेखांकित 'भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की व्यापकता' (2019) संबंधी देश की पहली व्यापक रिपोर्ट ने देश में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से 5.7 करोड़ से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि लगभग 3.1 करोड़ लोग कैनाबिस, 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड तथा लगभग 1.18 करोड़ लोग शामक (सेडेटिव) दवाओं का सेवन करते हैं। विशेष रूप से, लगभग 2.8 करोड़ लोग ओपिओइड पर निर्भर पाए गए, जिनमें से लगभग 28 लाख लोगों को तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। यह स्थिति रोकथाम, उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय अनुसंधान, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देशों को इन चुनौतियों से निपटने में सहयोग प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की समस्या निरंतर बनी हुई है और कोकीन उत्पादन में वृद्धि, नए मनःप्रभावी पदार्थों एवं सिंथेटिक ड्रग्स का प्रसार तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम तस्करी ने विधिप्रवर्तन को और अधिक कठिन बना दिया है।

यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024 में मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रभावी मादक पदार्थ नीति विज्ञान एवं साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए। साथ ही इसमें मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को कम करने के लिए रोकथाम, शिक्षा, उपचार तथा हानि-न्यूनकरण उपायों में अधिक निवेश की आवश्यकता बताई गई है।

भारत एकल मादक पदार्थ अभिसमय, 1961 (1972 प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित), मनोप्रभावी पदार्थ अभिसमय, 1971 तथा मादक पदार्थों एवं मनोप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 का पक्षकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ भारत में मादक पदार्थों एवं मनोप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण संबंधी विधिक एवं नीतिगत ढाँचे का आधार हैं।

देश का विधिक ढाँचा मुख्य रूप से तीन केंद्रीय कानूनों पर आधारित है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988। मादक पदार्थ नियंत्रण एक साझा दायित्व है, जिसमें अनेक मंत्रालय, विभाग तथा प्रवर्तन एजेंसियाँ सम्मिलित हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को एनडीपीएस अधिनियम तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के प्रशासन हेतु नोडल प्राधिकरण नामित किया गया है तथा यह विभिन्न एजेंसियों के बीच नीति क्रियान्वयन का समन्वय भी करता है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन देश की सर्वोच्च मादक पदार्थ विधिप्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसका दायित्व केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशे की समस्या पर नियंत्रण करना तथा पूरे देश में एनडीपीएस अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। नागरिकों को मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सुरक्षित एवं गोपनीय सूचना देने तथा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने एक गोपनीय एवं सहज सुलभ मंच की आवश्यकता को स्वीकार किया।

इसी उद्देश्य से 18 जुलाई 2024 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सहयोग से राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' (मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र) का शुभारंभ किया गया। मानस एक सुरक्षित एवं प्रौद्योगिकी-आधारित मंच है, जिसके माध्यम से नागरिक किसी भी समय मादक पदार्थों से

संबंधित गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं तथा पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

यह मंच डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को 'नशा मुक्त भारत' के मिशन से जोड़ता है। नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933, आधिकारिक पोर्टल, ई-मेल तथा उमंग ऐप के माध्यम से 'मानस' सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन सेवाओं की व्यापक उपलब्धता नागरिकों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है।

भारत रोकथाम, पुनर्वास और कठोर विधिप्रवर्तन पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, जिनसे विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं सहित लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। एकीकृत पुनर्वास केंद्रों, आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्रों, सामुदायिक आधारित सहकर्मी-नेतृत्व हस्तक्षेप केंद्रों, नशा उपचार सुविधाओं तथा जिला नशामुक्ति केंद्रों का देशव्यापी नेटवर्क परामर्श, उपचार और सामाजिक पुनर्समावेशन में सहायता प्रदान कर रहा है। रोकथाम संबंधी प्रयासों को टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446, विद्यालय-आधारित जागरूकता कार्यक्रमों तथा सामुदायिक जनसंपर्क पहलों के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया है। किन्तु अनधिकृत नशामुक्ति केंद्र भी गंभीर चिंता का विषय हैं। आयोग ने अपने कुछ स्वतः संज्ञान मामलों में इस पहलू को रेखांकित किया है, जहाँ ऐसे अवैध केंद्रों में रह रहे व्यक्तियों के साथ क्रूर मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए तथा कुछ मामलों में उनकी मृत्यु भी हो गई।

विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर, राज्य स्तरीय मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अधिक कठोर प्रावधान तथा सीमा सुरक्षा बलों, रेलवे सुरक्षा बल और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जैसी पहलों ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने की भारत की क्षमता को सुदृढ़ किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध खुफिया जानकारी साझा करने तथा समन्वित कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी निकट सहयोग करता है।

भविष्य की दृष्टि से रोकथाम, प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा साक्ष्य-आधारित उपचार में अधिक निवेश आवश्यक होगा। पुनर्वास सेवाएँ बिना किसी सामाजिक कलंक के उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑनलाइन मादक पदार्थ तस्करी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि संगठित आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वित्तीय जांच को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। बेहतर सीमा-पार सहयोग तथा समुदाय की अधिक भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए परिवारों, विद्यालयों और स्थानीय समुदायों को जागरूकता, जीवन कौशल तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

केवल विधि प्रवर्तन के माध्यम से नशामुक्त समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसके लिए 'सम्पूर्ण सरकार' और 'सम्पूर्ण समाज' आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ऐसा दृष्टिकोण मानव गरिमा की रक्षा करे, जनस्वास्थ्य को प्रोत्साहित करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को उपचार, पुनर्वास और समाज में पुनर्समावेशन के समान अवसर उपलब्ध कराए, ताकि मादक पदार्थों के विरुद्ध इस संघर्ष में कोई भी पीछे न छूटे।

लेख

# पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तनः
## मानव अधिकारों के लिए एक खतरा

**श्री भरत लाल**

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएचआरसी, भारत

हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख मंच है (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम)। इस तिथि का चयन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन दिवस था, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों और नीतियों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा शिखर सम्मेलन था।

हाल के दशकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है, जो वनों की कटाई और भूमि क्षरण में खतरनाक वृद्धि के अनुरूप है, जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यूरोप में बार-बार आने वाली भीषण गर्मी की लहरें, जिन्होंने पिछले महीने लोगों के जीवन और आजीविका को तबाह कर

[1] संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व पर्यावरण दिवस

[2] संयुक्त राष्ट्र, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट ( स्टॉकहोम, 1972), संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज ए/सीओएनएफ48/14

दिया, इस बढ़ते संकट का स्पष्ट संकेत हैं। भारत के कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी, सूखा और भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और जानमाल का नुकसान हुआ है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ, पूर्वानुमानित मौसम प्रणालियाँ विफल होती दिख रही हैं, जिससे वर्षा का पैटर्न अनियमित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप दुनिया के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ रहा है और अन्य हिस्सों में अभूतपूर्व बाढ़ आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में से 24%, यानी लगभग 13.7 मिलियन वार्षिक मौतें, पर्यावरणीय जोखिमों से जुड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन की पारिस्थितिक घटनाएँ, जो पहले अमूर्त और अदृश्य प्रतीत होती थीं, आज सीधे तौर पर मानव जीवन के लिए खतरा बन गई हैं। बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर और बदलते जैव-क्षेत्र, ये सभी दर्शाते हैं कि कैसे पर्यावरणीय संकट जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, पानी, आश्रय और स्वच्छ पर्यावरण के मानव अधिकारों को कमजोर कर रहा है।

## भूमि क्षरण और जलवायु संकट

जहां एक ओर विश्व गरीबी में तेजी से कमी, समृद्धि में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर मानवता को पर्यावरण संबंधी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, जल निकायों और जैव विविधता का क्षरण, भूमि का क्षरण और जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन - कोयला, तेल और गैस - वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 68% के लिए जिम्मेदार हैं (संयुक्त राष्ट्र/संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई; आईपीसीसी एआर6 संश्लेषण रिपोर्ट)। प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के कारण विश्व भर के वन अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। अकेले 2025 में ही विश्व ने 10.6 मिलियन एकड़ उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वर्षावन खो दिए (विश्व संसाधन संस्थान और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, 2025 के आंकड़े)। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र जो प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते थे, नष्ट हो रहे हैं।

ग्रीनहाउस गैसों के संचय से तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के औसत से लगभग 1.29°C–1.39°C बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, बढ़ते तापमान से नदियाँ सूख गई हैं और जल निकाय सिकुड़ गए हैं; दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कई नदी प्रणालियाँ खतरे में हैं और बार-बार सूखा पड़ रहा है।

जलवायु अस्थिरता ने एक और चुनौती खड़ी कर दी है, वह है पर्यावरण शरणार्थियों की समस्या। ये वे लोग हैं जिन्हें रहने लायक न होने के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अनुमान है कि हर साल मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20.8 मिलियन लोग विस्थापित होते हैं। यह आंकड़ा वार्षिक विस्थापन को दर्शाता है, न कि 2030 तक होने वाले अनुमानित विस्थापन को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का कहना है कि निचले तटीय क्षेत्र और समुद्र स्तर में वृद्धि जलवायु विस्थापन के प्रमुख कारण हैं।

आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त की पूर्व सदस्य और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की पूर्व विशेष दूत सुश्री मैरी रॉबिन्सन जैसी विचारकों ने अपनी पुस्तक 'क्लाइमेट जस्टिस' में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई मूल रूप से मानव अधिकारों और इसके प्रभाव से पीड़ित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बारे में है।

## भारतीय परिदृश्य: चुनौतियाँ और अवसर

भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या, विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% और विश्व के नवीकरणीय मीठे जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के कारण पर्याप्त प्रगति के बावजूद, सूखा और बाढ़ जैसी जलवायु आपदाएँ जल और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। यह अनिश्चितता भारत की लगभग 64% आबादी के लिए सीधा खतरा है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

भीषण गर्मी, शहरी बाढ़ और धुंध के कारण कई भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक गर्मी के खतरे वाले शहरों में शामिल हैं। भारत में 35 वर्ष से कम आयु की आबादी का लगभग 66% हिस्सा युवाओं का है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उनकी शिक्षा और आर्थिक उत्पादकता लगातार बाधित हो रही है।

बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने को उच्च प्राथमिकता दी है। इसने पेरिस समझौते (2015) में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करने का

[3] विश्व स्वास्थ्य संगठन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य

[4] संयुक्त राष्ट्र, जलवायु कार्रवाई – जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव

[5] विश्व संसाधन संस्थान एवं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, वैश्विक वन समीक्षा 2025

[6] विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023, डब्ल्यूएसओ-क्रमांक 1347, जिनेवा, 2024

[7] जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन 2022: प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता – तकनीकी सारांश,जलवायु परिवर्तन 2022: प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता, आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में कार्य समूह-II के योगदान के अंतर्गत।

[8] संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, महासचिव की रिपोर्ट: महासागर और समुद्री कानून – समुद्र-स्तर वृद्धि तथा उसके प्रभावों पर यूएनएचसीआर का योगदान (जनवरी 2020)

[9] नीति आयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, 2019

[10] धर्मेंद्र चंदूरकर, स्वप्निल शेखर एवं विरिंदर शर्मा, भारत में डीएफआईडी के ग्रामीण कार्यक्रमों का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को आगे बढ़ाना, सम्बोधि चर्चा-पत्र संख्या 1, सम्बोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस प्रा. लि.

[11] युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, युवा शक्ति की क्षमता का उपयोग, प्रेस सूचना ब्यूरो।

उदाहरण प्रस्तुत किया है। 1972 से, इसने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

हाल ही में, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। मिशन अमृत सरोवर (2022) का उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का निर्माण या जीर्णोद्धार करना था (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट का सक्रिय रूप से सामना करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत ने 2030 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने, 2030 तक अनुमानित संचयी कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है (भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यूएनएफसीसीसी; सीओपी26)। भारत ने मिशन LiFE के माध्यम से वैश्विक समुदाय को भी प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)। अनुमान है कि इससे लगभग 54.4 मिलियन टन को-समकक्ष उत्सर्जन में कमी आई है (पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आकलन)। साथ ही, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य चार राज्यों में खराब हो चुके भूदृश्यों को पुनर्स्थापित करना है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)।

## जलवायु अनुकूलन और मानव अधिकार

सन् 1970 के दशक के आरंभ में हुए चिपको आंदोलन ने संभवतः पहली बार जलवायु संकट, वन अधिकारों और लोगों के जीने के अधिकार के बीच संबंध की ओर संकेत दिया था। उत्तराखंड के गांवों की हजारों महिलाओं ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया। वे वनों की कटाई के खिलाफ विरोध कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़, मिट्टी का कटाव और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एम.के. रणजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ (2024) मामले में यह स्वीकार किया कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी न्यायिक व्याख्या में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया है।

इस कानूनी ढांचे के आधार पर, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पर्यावरण क्षरण और जलवायु संबंधी मुद्दों को जीवन के अधिकार से संबंधित अपने व्यापक जनादेश के अंतर्गत मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों में, एनएचआरसी ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को लू से जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए परामर्शी जारी की है। 4 जून को, आयोग ने शमन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि वनों की कटाई, आर्द्रभूमि का क्षरण और जल निकायों पर अतिक्रमण लू लगने के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी वास्तविकता है जिसका हम प्रतिदिन सामना कर रहे हैं और यह भी बताया कि लू निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता सामाजिक न्याय का विषय बन जाती है। वास्तव में, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

पर्यावरण प्रदूषण और मानव अधिकारों के बीच का संबंध आज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से, हमें सतत शहरी नियोजन के लिए प्रमुख रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है। भारत की लगभग एक तिहाई आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है (भारत की जनगणना; विश्व बैंक)। इसलिए, गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए स्पंजी अवसंरचना विकसित करने और हरित क्षेत्रों का विस्तार करने का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जलवायु-अनुकूल कृषि और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मॉडल के माध्यम से ग्रामीण भारत को आजीविका की बेहतर सुरक्षा प्राप्त होगी। शहरों और गांवों को अधिक रहने योग्य बनाना, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

[12] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 'भारत: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के लिए तृतीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (2021)'; संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय, पेरिस समझौता (12 दिसंबर 2015 को अंगीकृत तथा 4 नवंबर 2016 से प्रभावी)।

[13] भारत सरकार, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना, प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा 30 जून 2008 को जारी; प्रेस सूचना ब्यूरो, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना, 12 अगस्त 2008।

[14] पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, मिशन अमृत सरोवर।

[15] भारत सरकार, पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत का अद्यतन प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2021–2030) (अगस्त 2022), जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय को प्रस्तुत किया गया।

[16] पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।

[17] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना।

लेख

# बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य तथा मादक पदार्थों के सेवन के प्रति संवेदनशीलता

– डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा
महानिदेशक (अन्वेषण),राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

मादक पदार्थों का दुरुपयोग और नशे की लत मानसिक विकार की एक अभिव्यक्ति है। समाज और विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि नशामुक्ति के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनःस्थिति से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। मादक पदार्थों की मांग और उनका दुरुपयोग ही नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रमुख कारण बनता है। युवाओं, विशेषकर किशोरों, का मादक पदार्थों के सेवन की ओर आकर्षित होना एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका गहन अध्ययन एक नशामुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पुनर्पुष्टि के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि नशामुक्त वैश्विक समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके।

भारत ने देश को 'नशामुक्त' बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है और इसी उद्देश्य से अगस्त 2020 में 'सम्पूर्ण समाज' दृष्टिकोण के साथ 'नशा मुक्त भारत अभियान' प्रारम्भ किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 47, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल है, सरकार को औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है। एक दशक से भी पहले, दिसंबर 2014 में 'मन की बात' के तीसरे संस्करण में प्रधानमंत्री ने युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या और उसके दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

यह लेख बच्चों और किशोरों पर केंद्रित है तथा मानसिक स्वास्थ्य को एक कारणात्मक कारक के रूप में मानते हुए उनमें मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता का अध्ययन करता है।

भारत में विश्व की सबसे बड़ी किशोर आबादी है, जिसकी संख्या लगभग 25.3 करोड़ (253 मिलियन) है। भारत में प्रत्येक पाँचवाँ व्यक्ति 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच है। इस जनसांख्यिकीय लाभ का पूरा लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब किशोरों को उचित जीवन कौशल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की लचीलापन विकसित करने के लिए सशक्त बनाया जाए।यह भी बताया गया है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक सात में से एक किशोर किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से प्रभावित है।

किशोरावस्था तीव्र शारीरिक और संज्ञानात्मक (मानसिक) विकास का चरण होती है। इस आयु में किशोर नई-नई चीज़ें आज़माने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। यह प्रवृत्ति नवाचार और उपलब्धियों को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन साथ ही उन्हें विभिन्न जोखिमों और समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील भी बना सकती है।राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य मैनुअल में बताया गया है कि बच्चों और किशोरों में भावनात्मक विकार सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समूह हैं। इनमें मुख्य रूप से अवसाद, चिंता विकार तथा तनाव-संबंधी विकार शामिल हैं।

भारत को इस जनसांख्यिकीय लाभांश (से मिलने वाला लाभ तभी वास्तविक रूप से प्राप्त हो सकता है, जब इस वर्ग को उपयुक्त जीवन-कौशल तथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता से सशक्त बनाया जाए। यह भी बताया गया है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक सात में से एक किशोर किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का सामना कर रहा है।अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में किए गए 'भारत में विद्यालय जाने वाले किशोरों में मादक पदार्थों के सेवन' विषयक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 10 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन किया था। इनमें सबसे अधिक तंबाकू का उपयोग पाया गया, जिसके बाद शराब,

1 भारत में किशोरियों एवं किशोरों का सशक्तिकरण, यूनिसेफ की वेबसाइट पर उपलब्ध।

2 किशोर विकास एवं सहभागिता, यूनिसेफ की वेबसाइट पर उपलब्ध।

3 पूर्वोक्त (Ibid)।

4 चिकित्सा अधिकारियों के लिए बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य मार्गदर्शिका, जिसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग तथा सामुदायिक मनोचिकित्सा इकाई (मनोचिकित्सा विभाग) द्वारा विकसित किया गया है।

5 किशोरों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का प्रभाव: एक वर्णनात्मक समीक्षा, एम. हेमामालिनी एवं अन्य, हिंदू मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, द तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत। (वॉल्यूम 12, सं. 10 (2025): अक्टूबर 2025, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)।

ओपिऑयड (औषधीय), कैनाबिस, इनहेलेंट्स तथा शांतिकारक दवाओं का स्थान रहा। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश बच्चे 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच इस आदत के शिकार होते हैं। इसलिए लगभग 12 वर्ष की आयु में समय रहते हस्तक्षेप करना अत्यंत आवश्यक माना गया, ताकि बच्चों को प्रारम्भिक अवस्था में ही इस समस्या से बचाया जा सके।

स्थिति को और अधिक गंभीर बनाते हुए, एम्स द्वारा वर्ष 2019 में किए गए 'भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता' अध्ययन में पाया गया कि इनहेलेंट्स ही एकमात्र ऐसी श्रेणी है, जिसका वर्तमान उपयोग बच्चों और किशोरों (1.17 प्रतिशत) में वयस्कों (0.58 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानतः 4.6 लाख बच्चों और 18 लाख वयस्कों को इनहेलेंट्स के हानिकारक उपयोग अथवा निर्भरता के कारण उपचार की आवश्यकता है।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग की व्यापकता के अतिरिक्त, नशामुक्ति उपचार तक पहुँच भी एक गंभीर चिंता का विषय है। एम्स के अध्ययन के अनुसार शराब पर निर्भर प्रत्येक 38 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को किसी प्रकार का उपचार प्राप्त हुआ तथा 180 में से केवल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार मिल पाया। इसी प्रकार मादक पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों में प्रत्येक 20 में से केवल एक व्यक्ति ने कभी अस्पताल में भर्ती होकर नशामुक्ति उपचार प्राप्त किया।

विशेष रूप से शराब और मादक पदार्थों पर निर्भर बच्चों में से उपचार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित आँकड़े वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों तथा भावनात्मक विकारों से ग्रस्त बच्चे नशीले पदार्थों के सेवन की ओर अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण, साथियों का दबाव, नशीले पदार्थों के सेवन की आदत अपनाने के लिए समूह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक मानकों के साथ तालमेल न बिठा पाना, कम आत्मसम्मान तथा अन्य अनेक कारक इस जोखिम को और बढ़ा देते हैं। इसलिए, घर और विद्यालय में बच्चे के व्यवहार में होने वाले प्रारम्भिक परिवर्तनों की पहचान करने में माता-पिता की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षकों की।

विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों और किशोरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों, की निगरानी एवं देखभाल के लिए नागरिक प्रशासन के अतिरिक्त नागरिक समाज संगठनों तथा परिवारों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।नशा मुक्त भारत अभियान, जिसे अगस्त 2020 में प्रारम्भ किया गया, में शिक्षकों, अभिभावकों तथा नागरिक समाज संगठनों को जागरूक करने का प्रावधान पहले से ही शामिल है। विभिन्न समूहों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वे आवश्यकता वाले बच्चों और किशोरों की सहायता कर सकें। नशा मुक्ति के लिए सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को चौबीसों घंटे सलाह एवं परामर्श उपलब्ध कराने हेतु नशा मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन – 14446 तथा मानस (MANAS) नारकोटिक्स हेल्पलाइन – 1933 स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, दूरभाष एवं ऑनलाइन माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श (टेली-परामर्श) की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का अधिनियमन है। वर्ष 2017 का यह अधिनियम प्रगतिशील, दूरदर्शी तथा मानवाधिकार-उन्मुख है। इसने भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति दृष्टिकोण को रोगी-केंद्रित स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ 1987 के अधिनियम का आधार अभिरक्षा पर बल देता है।मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में रोगी को भर्ती एवं उपचार से संबंधित निर्णयों में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्रदान करने तथा भेदभाव से संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। परिणामस्वरूप, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अब प्रत्येक व्यक्ति का एक विधिक अधिकार बन गई है। चूँकि अधिनियम की धारा 2(1)(एस) में मानसिक बीमारी की परिभाषा में "शराब एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मानसिक अवस्थाएँ" भी सम्मिलित हैं, इसलिए अवैध मादक पदार्थों पर निर्भर व्यक्ति अब उपचार प्राप्त करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

इसके साथ ही, राज्य सरकारों को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी नशामुक्ति उपचार सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना होगा। अधिनियम राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण बोर्ड की स्थापना करने का भी दायित्व सौंपता है। जब तक ये संस्थागत व्यवस्थाएँ प्रभावी रूप से स्थापित नहीं होतीं, तब तक अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार तक पहुँच का अधिकार पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकेगा।

भारत सरकार ने 'सम्पूर्ण समाज दृष्टिकोण' अपनाते हुए मादक पदार्थों की लत की चुनौती का गंभीरतापूर्वक सामना किया है। इस प्रयास में माता-पिता, शिक्षक तथा समाज के सभी वर्गों को सक्रिय हितधारकों के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक एवं समग्र प्रतिक्रिया आवश्यक है, जो केवल नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम तक सीमित न रहे, बल्कि उन बच्चों एवं किशोरों तक भी पहुँचे जिन्हें नशामुक्ति उपचार की आवश्यकता है।केवल ऐसे समन्वित, व्यापक एवं निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही हम स्वस्थ, सशक्त तथा मानसिक रूप से सक्षम भावी नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।

---

अंजू धवन एवं अन्य, एनडीडीटीसी, एम्स– "भारत में स्कूली किशोरों में मादक पदार्थों का उपयोग" (2022)

7. वही (Ibid.)

7. वही (Ibid.)

7. वही (Ibid.)

7. वही (Ibid.)

# स्वतः संज्ञान

मीडिया रिपोर्टें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने का एक अत्यंत उपयोगी माध्यम रही हैं। वर्षों से आयोग ने ऐसे अनेक मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को राहत दिलाई है। जून 2026 के दौरान आयोग ने मीडिया में प्रकाशित कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 12 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए। इन मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

## सुविधाओं के अभाव में एक वर्ष के भीतर 53 मातृ मृत्यु

(केस संख्या 1039/12/45/2026)

29 मई 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच एक वर्ष में प्रसव से पहले और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु मुख्यतः जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण हुई। बताया गया कि सीधी जिला राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सामुदायिक मातृ स्वास्थ्य लीग ग्रेडिंग में लगातार सबसे निचले तीन जिलों में शामिल रहा है। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 53 मातृ मृत्यु के मामलों में मृत महिलाओं की औसत आयु 26 वर्ष थी तथा अधिकांश महिलाएँ पहली या दूसरी बार माँ बनी थीं। समाचार में यह भी बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पताल में डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों सहित बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिसके कारण मरीजों को दूर स्थित रीवा जिले के उच्च चिकित्सा केन्द्रों में रेफर करना पड़ता है, जिससे रास्ते में जान का जोखिम बना रहता है। एक एम्बुलेंस चालक के अनुसार, सीधी जिले के कई गाँवों में सड़क संपर्क नहीं है, जिससे विशेषकर मानसून के दौरान स्थिति और कठिन हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस तक पहुँचाने के लिए दो से तीन किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है।

## आदिवासी किशोरी के साथ दुर्व्यापार, बिक्री और यौन उत्पीड़न

(केस संख्या 5710/24/40/2026)

29 मई 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, ओडिशा के ढेंकानाल जिले के कंकड़ाहाड़ा क्षेत्र की 17 वर्षीय एक आदिवासी किशोरी का दुर्व्यापार कर उसे उत्तर प्रदेश के झांसी में बेच दिया गया और लगभग दो वर्षों तक उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। बताया गया कि पीड़िता सहित तीन अन्य लड़कियों को रोजगार दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश ले जाया गया था। पीड़िता स्थानीय अधिवक्ता की सहायता से वहाँ से भागने में सफल रही और झांसी पुलिस के पास पहुँची। आरोप है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने के अलावा कोई अन्य कार्रवाई नहीं की और केवल उसे ओडिशा लौटने के लिए ट्रेन का टिकट उपलब्ध कराया। ओडिशा लौटने पर राज्य पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और मामले की जाँच जारी है। आयोग ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा ढेंकानाल के जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट माँगी है। रिपोर्ट में जाँच की वर्तमान स्थिति तथा पीड़िता को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण अपेक्षित है।

बताया गया कि पीड़िता को लगभग तीन महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। आगे यह भी आरोप है कि गर्भवती होने पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात कराया गया। इसके बाद उसे 50,000 रुपये में एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, जहाँ लगभग दो वर्षों तक कई अन्य लोगों द्वारा उसका लगातार यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद वह किसी तरह भागने में सफल हुई।

## किशोरी की पिटाई और जुलूस निकालना

(केस संख्या 5904/24/21/2026)

2 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय एक किशोरी को चोरी के संदेह में एक दुकानदार ने पेड़ से बाँधकर पीटा। बताया गया कि दुकानदार ने पीड़िता के बाल पकड़कर उसे पूरे गाँव में घुमाया। आयोग ने इस मामले में देवरिया के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। समाचार के अनुसार, पूरे गाँव में घुमाने के बाद पीड़िता को दुकानदार के घर ले जाकर पेड़ से बाँध दिया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।

## सीवर लाइन की सफाई के दौरान मृत्यु

(केस संख्या 495/19/10/2026)

2 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, पंजाब के लुधियाना जिले में एक फैक्ट्री के भीतर सीवर लाइन की सफाई के दौरान

जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बताया गया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने रासायनिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उपयोग की जाने वाली सीवर प्रणाली की सफाई हेतु श्रमिकों को नियुक्त किया था। वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतर गए। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और लुधियाना के पुलिस आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति, घायलों के स्वास्थ्य तथा सरकार द्वारा घोषित किसी मुआवजे का विवरण अपेक्षित है। समाचार के अनुसार, तीन श्रमिकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सहायता कर रहे दो अन्य श्रमिक बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

## सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु

(केस संख्या 474/6/23/2026)

8 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 7 जून 2026 को गुजरात के सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई। बताया गया कि आभूषणों की सफाई की प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट सेप्टिक टैंक में एकत्र किया जाता है। श्रमिक बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए टैंक में सफाई के लिए उतरे और जहरीली गैस के शिकार हो गए। बचाव दल उन्हें अस्पताल ले गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव और सूरत के पुलिस आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति तथा मृत श्रमिकों के परिजनों को दिए गए किसी मुआवजे का विवरण अपेक्षित है।

## इस्पात संयंत्र में विस्फोट

(केस संख्या 753/1/21/2026)

9 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 8 जून 2026 को आंध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में आठ श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा कम से कम छह अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। बताया गया कि श्रमिक संघ ने प्रबंधन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति तथा उन्हें एवं मृत श्रमिकों के परिजनों को दी गई अनुग्रह राशि का विवरण अपेक्षित है। समाचार के अनुसार, यह घटना संयंत्र के 'स्टील मेल्टिंग शॉप' में उस समय हुई जब लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले लगभग 150 टन पिघले हुए इस्पात से भरी एक लेडल में अचानक विस्फोट हो गया और पिघला हुआ इस्पात पूरे कार्यस्थल में फैल गया, जिससे श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए।

## सामाजिक बहिष्कार

(केस संख्या 563/18/14/2026-डब्ल्यूसी)

11 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के महुलडीहा गाँव में एक वृद्ध महिला का 12 वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार झेलने के बाद निधन हो गया। इसके बाद भी ग्रामीणों ने उसकी पुत्री को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में कोई सहयोग नहीं दिया। अंततः प्रशासन के हस्तक्षेप और कुछ स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। आयोग ने इस मामले में ओडिशा के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। बताया गया कि महिला के परिवार का सामाजिक बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि उसकी पुत्री के किसी अन्य जाति के व्यक्ति के साथ कुछ समय के लिए घर छोड़कर चले जाने के बाद ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जुर्माना परिवार अदा नहीं कर सका।

## आवारा कुत्तों का हमला

(केस संख्या 557/19/17/2026)

11 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 10 जून 2026 को पंजाब के रूपनगर जिले में आठ वर्षीय एक बालिका की आवारा कुत्तों के झुंड के हमले में मृत्यु हो गई। बताया गया कि पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। आयोग ने इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी अपेक्षित है। समाचार के अनुसार, स्थानीय लोगों ने बालिका को बचाकर चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पीड़िता आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थी। उसके पिता का लगभग चार वर्ष पूर्व निधन हो चुका था और उसकी माँ घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करती है।

## एक नाबालिग का अवैध कारावास

(केस संख्या 6784/24/30/2026)

16 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के 16 वर्षीय एक बालक को गिरफ्तार कर गौतम बुद्ध नगर जिले की कासना जेल में वयस्क कैदी के रूप में दो महीने तक अवैध रूप से रखा गया। अस्थि परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) से उसके नाबालिग होने की पुष्टि होने के बाद भी उसे किशोर गृह भेजने में छह दिन और लग गए। न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद वह किशोर गृह में ही रहा, क्योंकि उसका गरीब परिवार जमानत के लिए आवश्यक प्रतिभूति

उपलब्ध नहीं करा सका। बताया गया कि उसे जिले में मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की माँग को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था। आयोग ने उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को भी अधिकारियों की एक टीम भेजकर घटनास्थल की जाँच करने तथा एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बताया गया कि 14 अप्रैल 2026 को बालक को उसके नाम से आए एक पार्सल के संबंध में फोन आया था। वहाँ पहुँचने पर मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और कुछ दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए।

## एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मृत्यु

(केस संख्या 791/22/12/2026)

22 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 21 जून 2026 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक निजी झींगा प्रसंस्करण फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव के कारण कम से कम दो महिलाओं की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य लोग बीमार हो गए। बताया गया कि घटना के समय कर्मचारी पास के एक कमरे में विश्राम कर रहे थे। आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा मृत श्रमिकों के निकटतम परिजनों को घोषित राहत राशि के वितरण का विवरण भी अपेक्षित है। समाचार के अनुसार, घटना के तुरंत बाद 59 श्रमिकों को चेन्नई और तिरुवल्लूर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है।

## बंधुआ मजदूरी

(केस संख्या 7037/24/57/2026-बीएल)

25 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंडी गाँव स्थित एक कागज की प्लेट निर्माण फैक्ट्री में 12 बंधुआ मजदूरों को लगभग डेढ़ वर्ष तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई तथा उन्हें पर्याप्त भोजन और मजदूरी दिए बिना आधी रात तक काम करने के लिए मजबूर किया गया। बताया गया कि एक मजदूर किसी तरह फैक्ट्री से भाग निकला और तितावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अन्य मजदूरों को भी मुक्त कराया गया। उनके चिकित्सीय परीक्षण में चोट, कटने के घाव, हड्डी टूटने तथा लंबे समय तक शारीरिक प्रताड़ना के संकेत पाए गए।

बताया गया कि पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यह पता लगाने के लिए जाँच जारी थी कि कहीं अन्य मजदूरों की भी मृत्यु तो नहीं हुई। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारीको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जाँच करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही, आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 8 दिसंबर 2021 की सलाह 2.0 के अनुसार सभी मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बताया गया कि पीड़ित उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों तथा कुछ नेपाल के निवासी थे। उन्हें रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से रोजगार, नियमित मजदूरी, भोजन और आवास का लालच देकर लाया गया था। फैक्ट्री पहुँचने के बाद उनके मोबाइल फोन और पहचान संबंधी दस्तावेज कथित रूप से जब्त कर लिए गए, जिससे वे अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर सके। आरोप है कि मजदूरों को डराने और उनके भागने से रोकने के लिए पिट बुल नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था।

## भवन ढहने से मृत्यु

(केस संख्या 1878/25/5/2026)

25 जून 2026 को मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, 24 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन एक गोदाम की इमारत ढह जाने से कम से कम पाँच मजदूरों की मृत्यु हो गई और बीस अन्य घायल हो गए। बताया गया कि 12 से 15 लोगों के मलबे में फँसे होने की आशंका थी। आरोप है कि स्वीकृत भवन योजना में त्रुटि होने के कारण यह दुर्घटना हुई। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, कोलकाता के पुलिस आयुक्त तथा नगर आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति तथा मृतकों और घायलों के निकटतम परिजनों को दिए गए किसी मुआवजे का विवरण भी अपेक्षित है। समाचार के अनुसार, घटना के समय निर्माण स्थल पर लगभग 40 मजदूर कार्य कर रहे थे, तभी निर्माणाधीन गोदाम की लोहे की संरचना पर कंक्रीट डालने के दौरान वह अचानक ढह गई और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

# राहत संबंधी संस्तुतियाँ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का निपटारा करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना तथा ऐसे मामलों में उपयुक्त राहत की संस्तुति करना है। आयोग नियमित रूप से विभिन्न मामलों को संज्ञान में लेकर पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश और अनुशंसाएँ जारी करता है। जून 2026 में, 9 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों के लिए कुल 79.5 लाख रुपये की संस्तुति की गई, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित केस संख्या के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

| क्र. सं. | केस संख्या | शिकायत की प्रकृति | राशि (रु. लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1850/4/1/2024-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 15.00 | बिहार सरकार |
| 2. | 4315/30/6/2023 पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 5.00 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार |
| 3. | 406/18/7/2024- पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 7.00 | ओडिशा सरकार |
| 4. | 228/20/1/2024- जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 10.00 | आंध्र प्रदेश सरकार |
| 5. | 717/13/23/2022- जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 3.00 | महाराष्ट्र सरकार |
| 6. | 1615/13/9/2021-पीएफ | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 10.00 | महाराष्ट्र सरकार |
| 7. | 519/18/27/2024 | खुले नाले के कारण मृत्यु | 7.00 | ओडिशा सरकार |
| 8. | 11068/24/52/2024 | सीवर में मृत्यु | 15.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 9. | 29155/24/17/2019 | पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अपराधी ने स्वयं को गोली मार ली | 75.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |

# पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

जून 2026 के दौरान आयोग ने 11 मामलों का निपटान किया। इन मामलों का निपटान संबंधित लोक प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने अथवा अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश जारी करने के उपरांत किया गया। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को 89 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित केस संख्या दर्ज करके डाउनलोड किया जा सकता है।

| क्र. सं. | केस संख्या | शिकायत की प्रकृति | राशि (रु. लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3194/7/3/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 5.00 | हरियाणा सरकार |
| 2 | 104/10/4/2021- पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 5.00 | कर्नाटक सरकार |
| 3 | 4/17/1/2022- पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 5.00 | आंध्र प्रदेश सरकार |
| 4 | 35186/24/25/2017- पीसीडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 10.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 5 | 1253/34/2/2019-एडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 50.00 | झारखंड सरकार |
| 6 | 9/17/3/2016-एडी | पुलिस हिरासत में मृत्यु | 5.00 | नागालैंड सरकार |
| 7 | 1521/36/7/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 3.00 | तेलंगाना सरकार |
| 8 | 289/3/22/2023 | पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या | 3.00 | असम सरकार |
| 9 | 102/30/10/2023 | पुलिस हिरासत में प्रताड़ना | 1.00 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार |
| 10 | 203/19/18/2024 | मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु | 45.00 | पंजाब सरकार |
| 11 | 8944/24/64/2020 | भूख के कारण एक प्रवासी श्रमिक की मृत्यु | 2.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |

# केस स्टडी

कई मामलों में आयोग ने पाया कि राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत, उनकी अवैध कार्रवाई, निष्क्रियता अथवा चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसलिए आयोग ने प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर संबंधित प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा कि पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को मौद्रिक राहत प्रदान किए जाने की संस्तुति क्यों न की जाए तथा दोषी/लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। राज्य सरकारों द्वारा कारण बताओ नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत तथ्यों एवं स्पष्टीकरणों पर विचार करने के उपरांत आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को मौद्रिक राहत प्रदान किए जाने की संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों से इन संस्तुतियों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए। ऐसे मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

## पुलिस द्वारा मारपीट के बाद आत्महत्या

(केस संख्या: 289/3/22/2023)

यह मामला वर्ष 2023 में असम के गोलाघाट जिले में एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति के साथ दो घंटे से अधिक समय तक मारपीट किए जाने के बाद उसकी आत्महत्या से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि पुलिस अत्याचार के आरोप सही थे। अपमानित महसूस करने पर पीड़ित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसलिए आयोग ने असम सरकार को पीड़ित के निकटतम परिजन को 3 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका अनुपालन किया गया।

## मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु

(केस संख्या: 203/19/18/2024)

यह मामला वर्ष 2024 में पंजाब के संगरूर जिले के गुजरां गांव में मिलावटी शराब के सेवन से पांच व्यक्तियों की मृत्यु तथा पांच अन्य के बीमार होने से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि स्थानीय प्रशासन मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप यह दुखद घटना हुई। इसलिए आयोग ने पंजाब सरकार को मृतकों के निकटतम परिजनों (NoK) को 5-5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

## पुलिस हिरासत में आत्महत्या से मृत्यु

(केस संख्या: 3194/7/3/2022-पीसीडी)

यह मामला वर्ष 2022 में हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय परिसर की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने से संबंधित था। उसे एक मामले में पेशी के लिए पुलिस कर्मी न्यायालय लेकर गए थे। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि उसे ले जा रहे पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाह थे, जिसके कारण वह उनकी अभिरक्षा से निकल गया और आत्महत्या कर ली। इसलिए आयोग ने हरियाणा सरकार को मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

## जेल में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से मृत्यु

(केस संख्या: 1521/36/7/2021-जेसीडी)

यह मामला वर्ष 2021 में तेलंगाना के नलगोंडा जिले स्थित उप-जेल देवरकोंडा की न्यायिक अभिरक्षा में एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि बंदी जेल परिसर से बाहर निकलने में सफल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। आयोग ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि न्यायिक अभिरक्षा में बंदी की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उसे स्वयं को हानि पहुँचाने से रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। अतः आयोग ने तेलंगाना सरकार को मृतक के निकटतम परिजन को 3 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका अनुपालन किया गया।

## यौन उत्पीड़न के मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता

(केस संख्या: 3269/4/4/2017)

यह मामला बिहार के बेगूसराय जिले के नावकोठी में यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार के प्रयास के मामले में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की तथा आरोपित को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता को महिला थाना बुलाकर मामले के पंजीकरण पर जोर देने के लिए फटकार भी लगाई गई। इसलिए आयोग ने संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने में विलंब के कारण हुए मानव अधिकार उल्लंघन के लिए बिहार सरकार को पीड़िता को 1 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

## विचाराधीन बंदी की मृत्यु

(केस संख्या: 1016/20/14/2019-जेसीडी)

यह मामला वर्ष 2019 में राजस्थान के जयपुर केंद्रीय कारागार की न्यायिक अभिरक्षा में एक विचाराधीन बंदी की मृत्यु से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा उसका मानसिक रोग की दवाओं से उपचार चल रहा था। इसके बावजूद उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजने के बजाय केंद्रीय कारागार, जयपुर से खुली जेल, सांगानेर भेज दिया गया। किसी प्रहरी या परिचर के साथ न होने के कारण वह जेल परिसर से बाहर निकल गया और एक आती हुई रेलगाड़ी के सामने खड़ा हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने माना कि बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी थी और इस मामले में उनकी ओर से

लापरवाही हुई। इसलिए आयोग ने राजस्थान सरकार को मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका अनुपालन किया गया।

### पुलिस हिरासत में मृत्यु

(केस संख्या: 639/6/14/2022-एडी)

यह मामला गुजरात के कच्छ-भुज जिले के गांधीधाम ए-डिवीजन पुलिस थाने में वर्ष 2021 में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि पुलिस थाने की प्रथम मंजिल पर पूछताछ के लिए ले जाए जाने के दौरान वह पुलिस कर्मियों से बचकर भागने का प्रयास करते समय गिर गया। इस दौरान उसे रीढ़ एवं सिर में गंभीर चोटें आईं, जिनके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए आयोग ने माना कि अपनी अभिरक्षा में पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की ओर से लापरवाही हुई। अतः आयोग ने गुजरात सरकार को मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने की संस्तुति की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

# मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत समय-समय पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर पूछताछ करने हेतु अपने अन्वेषण अधिकारियों की टीम को प्रतिनियुक्त करता है।

**केस संख्या: 29813/24/62/2023**

1 से 5 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में वर्ष 2023 में पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 403/18/4/2026**

1 से 5 जून 2026 तक ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक रेलवे पुलिस कांस्टेबल की कथित भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 18649/24/30/2024**

8 से 12 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित थाना बिसरख की पुलिस द्वारा गौर सिटी-2 के प्रिस्टीन एवेन्यू में वरिष्ठ नागरिकों को कथित रूप से अवैध रूप से बंदी बनाए जाने के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 334/22/45/2024-पीसीडी**

15 से 19 जून 2026 तक तमिलनाडु में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 5571/24/54/2026**

15 से 17 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पारिवारिक आपातस्थिति का झूठा बहाना बनाकर शिकायतकर्ता की पोती के कथित अपहरण के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 16142/24/57/2025**

16 से 20 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ोसियों के साथ मौखिक विवाद के बाद शिकायतकर्ता के पिता को जान से मारने की धमकी मिलने तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

**केस संख्या: 36998/24/51/2022-एडी**

29 से 30 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश के जिला कारागार मैनपुरी की अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मृत्यु के आरोप के संबंध में मौके पर पूछताछ की गई।

# क्षेत्रीय दौरा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर मानव अधिकारों की स्थिति तथा राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्शों, दिशानिर्देशों एवं संस्तुतियों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करते हैं। वे आश्रय गृहों, कारागारों तथा प्रेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं ताकि सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा उन्हें मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन दौरों के दौरान अधिकारियों को यह भी अवगत कराया जाता है कि राज्य प्राधिकारी आयोग को समयबद्ध ढंग से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

# राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य द्वारा दौरा

7 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरि जिले के बोल्लारम स्थित हिंदू कब्रिस्तान का दौरा किया। यह दौरा आयोग द्वारा प्राप्त उन आरोपों के संदर्भ में किया गया था जिनमें कहा गया था कि कब्रिस्तान का उपयोग कचरा फेंकने के स्थान के रूप में किया जा रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जनसामान्य को असुविधा हो रही है। दौरे के दौरान सदस्य ने जोनल आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्थानीय निवासियों से बातचीत कर अब तक हुई प्रगति का आकलन किया।

23 जून 2026 को उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एनआईएमएस का दौरा किया, अनेक मरीजों से बातचीत की तथा उनकी समस्याओं के संबंध में विधि के अनुरूप आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

25 जून 2026 को सदस्य ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गोलगामुडी स्थित राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम विद्यालय में मौके पर पूछताछ किया। उन्होंने विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधाओं का निरीक्षण किया, लगभग 420 जनजातीय छात्राओं से बातचीत की तथा वार्डन, प्रधानाध्यापिका, शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों के साथ चर्चा की। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, छात्रावास प्रबंधन तथा पोषण संबंधी गंभीर कमियां पाई गई। छात्रावास के कमरे, स्नानघर, रसोईघर तथा आसपास का परिसर अस्वच्छ पाया गया। प्रदर्शित भोजन सूची के अनुरूप भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था तथा छात्राओं को निर्धारित पौष्टिक एवं संतुलित आहार नहीं मिल रहा था। छात्राओं ने मच्छरों एवं चूहों के अत्यधिक प्रकोप की शिकायत की, जिसके कारण अनेक छात्राओं को रसोईघर एवं भोजन कक्ष में सोना पड़ रहा था। यह भी पाया गया कि छात्राओं से सफाई एवं गृह-व्यवस्था से संबंधित कार्य कराए जा रहे थे, जिन्हें सहायक कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए था। सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

# क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण तथा उनके प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग इंटर्नशिप कार्यक्रमों, सहयोगात्मक प्रशिक्षण तथा वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है, ताकि विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच का विस्तार किया जा सके तथा उनमें मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जा सके। इंटर्नशिप कार्यक्रम ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन एक माह की ऑफलाइन इंटर्नशिप तथा छह ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में आयोजित किए जाते हैं। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम दूरदराज़ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को दिल्ली आने-जाने एवं ठहरने पर व्यय किए बिना इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं।

## ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटर्नशिप कार्यक्रम मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों से युवाओं को जोड़ने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुए हैं। देशभर के विभिन्न शैक्षणिक विषयों, क्षेत्रों एवं संस्थानों के विद्यार्थियों को एक साथ लाकर यह कार्यक्रम जागरूक, संवेदनशील तथा सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त भावी नेतृत्व तैयार करने का प्रयास करता है। विशेषज्ञों के साथ संवाद, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों तथा क्षेत्रीय अनुभवों के माध्यम से प्रतिभागियों को समकालीन मानव अधिकार मुद्दों तथा समाज में न्याय, समानता, गरिमा एवं करुणा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका की गहन समझ प्राप्त होती है।

1 से 25 जून 2026 तक आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए चार सप्ताह का प्रत्यक्ष ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न शैक्षणिक विषयों से प्राप्त 1,668 आवेदनों में से चयनित 96 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूर्ण की। ये विद्यार्थी देश के 21 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 40 शिक्षण संस्थानों से थे तथा विधि, सामाजिक विज्ञान, समाजकार्य, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, जेंडर अध्ययन, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विविध विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि यद्यपि कृषि, औद्योगिक तथा डिजिटल क्रांतियों ने मानव जीवन को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है, फिर भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी विश्वभर में समान रूप से प्रासंगिक हैं, जो मानव अधिकारों एवं मानवीय मूल्यों के महत्व को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि अनेक विद्यार्थी प्रारंभ में अपने शैक्षणिक प्रोफ़ाइल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किंतु इसका वास्तविक महत्व ज्ञान अर्जित करने, दृष्टिकोण का विस्तार करने तथा समाज की गहन समझ विकसित करने में निहित है।

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों का चयन वास्तव में 'मिनी इंडिया' का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य उनमें

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उद्घाटन भाषण देते हुए।

मानव अधिकारों के प्रति चेतना के बीज बोना है ताकि वे अपने व्यक्तित्व एवं आचरण के माध्यम से भविष्य में अधिक परिपक्व एवं संवेदनशील समाज के निर्माण में योगदान दे सकें। उन्होंने प्रशिक्षुओं को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें कक्षा-कक्ष एवं डिजिटल माध्यमों से परे व्यापक शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस इंटर्नशिप के पश्चात कुछ विद्यार्थी भी अधिक सहानुभूतिशील, जागरूक एवं मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध बनते हैं, तो कार्यक्रम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगी ने कहा कि यह इंटर्नशिप विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर उन्हें संस्कृति, भावनाओं एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से स्वयं को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान युवाशक्ति का पूरक है और यह राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों के साथ संवाद से प्रशिक्षुओं को बहुमूल्य ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होंगे तथा उन्हें समाज के वंचित एवं निराश्रित वर्गों की आवाज़ बनने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि भारत में मानव अधिकार और मानवीय मूल्य अलग-अलग अवधारणाएँ नहीं हैं। उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे प्राचीन भारतीय आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक विधिक व्यवस्था के विकसित होने से बहुत पहले ही भारतीय संस्कृति एवं जीवन-दर्शन में मानव अधिकारों की भावना अंतर्निहित रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस इंटर्नशिप को केवल एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि मूल्य-आधारित शिक्षा एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक व्यवहार एवं दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में भी परिलक्षित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान तीव्र परिवर्तनशील विश्व में तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास आवश्यक हैं, किंतु मानवीय मूल्यों के बिना विकास कभी भी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर सकता। उन्होंने प्रशिक्षुओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं को उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आयोग प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार के इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के विकास में निरंतर निवेश कर रहा है। इन कार्यक्रमों का विस्तार देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक किया गया है ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप का उद्देश्य ऐसी नई नेतृत्व-पीढ़ी तैयार करना है जो मानव अधिकारों, मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित हो। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं पर मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे मूल्यों की रक्षा एवं संवर्धन की विशेष जिम्मेदारी है, जिनके लिए पूर्व पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के बारे में नहीं, बल्कि विशेष रूप से गरीब एवं सर्वाधिक वंचित लोगों के बारे में भी सोचना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे ज्ञान, समझ, मानव अधिकारों, मानवीय मूल्यों, सहानुभूति एवं करुणा का प्रसार एवं पालन करते हुए जीवन के इस उद्देश्य को सार्थक करें।

बाद में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री भरत लाल ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे चार सप्ताह के इस अनुभव के दौरान प्राप्त शिक्षाओं पर ही नहीं, बल्कि इस अनुभव से उनके जीवन की दिशा पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी गंभीरता से विचार करें। उन्होंने कहा कि किसी इंटर्नशिप का वास्तविक महत्व उसके प्रमाणपत्र में नहीं, बल्कि उससे विकसित होने वाली

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों और प्रशिक्षुओं का एक वर्ग।

स्पष्ट सोच, उद्देश्यबोध एवं चरित्र में निहित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्वचालन के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य स्तर की क्षमता को धीरे-धीरे प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापित कर देगी। इसलिए युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में आज के युवाओं के पास अधिक संसाधन उपलब्ध हैं और इसलिए समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी अधिक है।

महासचिव ने उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि श्रमिकों के अधिकार, जीवन-स्थितियाँ, पर्यावरण, जलवायु तथा सतत विकास भविष्य की आर्थिक गतिविधियों एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को निरंतर अधिक प्रभावित करेंगे।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भारत लाल समापन सत्र को संबोधित करते हुए

उन्होंने संविधान में निहित बंधुत्व के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कुछ समय, ऊर्जा एवं संसाधन दूसरों के हित में समर्पित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों का संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से जिज्ञासु बने रहने, निरंतर प्रश्न पूछने तथा दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुनने का आग्रह किया, ताकि वे समाज में सकारात्मक एवं रचनात्मक योगदान दे सकें।

इंटर्नशिप कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को मानव अधिकारों के बहुआयामी पक्षों को समझने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव, विशेष पर्यवेक्षकों, विशेष प्रतिवेदकों, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। क्षेत्रीय भ्रमण, पुस्तक समीक्षा, शोध परियोजनाओं की प्रस्तुतियाँ तथा भाषण प्रतियोगितियों जैसी गतिविधियों ने उनके मानव अधिकारों एवं मानवीय मूल्यों संबंधी ज्ञान एवं समझ को और समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों में आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग की भावना तथा मानव अधिकारों की पैरवी के प्रति गहन समझ विकसित की, जिससे वे न्याय, गरिमा एवं समानता के समर्थक बनने के लिए प्रेरित हुए।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षंड़गि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल तथा वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

- नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कोयंबटूर, तमिलनाडु ने 'मानव अधिकार लैंगिक न्याय एवं डिजिटल परिदृश्य: महिलाओं के वैधानिक अधिकारों एवं प्रतितोष तंत्र पर एक शैक्षणिक प्रशिक्षण' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- के.पी.बी. हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मुंबई, महाराष्ट्र ने 'महिला अधिकार – युवा महिलाओं का सशक्तिकरण: महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं पैरवी' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- बिशप हीबर कॉलेज (स्वायत्त), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु ने 'महिला अधिकार' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- जी.टी.एन. आर्ट्स कॉलेज, डिंडीगुल, तमिलनाडु ने 'महिला अधिकार' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- उरा जुवेह फाउंडेशन, नागालैंड ने 'ग्रामीण समुदायों में बच्चों एवं वृद्धजनों के मानव अधिकार' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय, बुधेरा, हरियाणा ने 'बाल अधिकार – बाल-केंद्रित न्याय एवं विधिप्रवर्तन की परिवर्तनकारी भूमिका' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर, तमिलनाडु ने ‘महिला अधिकार’ विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- वी. के. कृष्ण मेनन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई, महाराष्ट्र ने मानव अधिकार विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- आरएएफ अकादमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, सीआरपीएफ, मेरठ, उत्तर प्रदेश ने ‘मानव अधिकार – मानव अधिकार-केंद्रित पुलिसिंग: बल प्रयोग, निष्पक्षता एवं जनविश्वास के बीच संतुलन’ विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

## ज्ञानार्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत उन्हें आयोग के भ्रमण हेतु आमंत्रित करता है, ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित मानव अधिकार संरक्षण तंत्र एवं उसके कार्य-निष्पादन से परिचित हो सकें। इस अवसर पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

23 जून 2026 को छात्र संसद के सदस्यों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का भ्रमण किया तथा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के साथ संवादात्मक सत्र में भाग लिया। यह छात्र संसद युवाओं द्वारा संचालित एक गैर-लाभकारी पहल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व 2026 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। इस सत्र का मुख्य विषय भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकारों की रक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी था। अध्यक्ष ने कहा कि मानव अधिकार केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा को मानव अधिकारों के मूल स्तंभ बताते हुए कहा कि गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, छात्र संसद के सदस्यों के साथ संवाद करते हुए

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व पर भी प्रकाश डाला तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्यतः पूर्व उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करती है, जबकि मानव संबंधी विषयों में निर्णय लेने के लिए मानवीय विवेक, सहानुभूति एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है।

इस दौरे में देश के 28 राज्यों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, आगंतुक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ।

# अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों पर विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं पहलों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता रहा है। इसी क्रम में विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर आयोग का दौरा करते हैं तथा उसके अध्यक्ष, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर आयोग के अधिदेश, कार्यप्रणाली तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी पहलों की जानकारी प्राप्त करते हैं।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं कार्यक्रमों में भाग लेकर आयोग के अनुभवों एवं उपलब्धियों को साझा करते हैं, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के साथ सहयोग को सुदृढ़ करते हैं तथा तीव्र गति से बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श करते हैं।

## शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं, राज्य निकायों एवं अन्य संगठनों की प्रथम परामर्शदात्री बैठक

23 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के नेतृत्व में आयोग ने किर्गिज़ गणराज्य के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं, राज्य निकायों एवं मानव अधिकार एवं स्वतंत्रताओं के संरक्षण से संबंधित अन्य संगठनों की प्रथम परामर्शदात्री बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल तथा संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में किर्गिज़ गणराज्य के लोकपाल, एससीओ के उप-महासचिव, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कज़ाख़स्तान, ताजिकिस्तान एवं बेलारूस की राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं तथा अन्य संबंधित निकायों के अध्यक्ष एवं प्रमुखों के साथ अनेक विशिष्ट प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने एससीओ की अध्यक्षता के दौरान पहली परामर्शदात्री बैठक आयोजित करने के लिए किर्गिज़ गणराज्य के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं एवं संबंधित निकायों के बीच नियमित परामर्श व्यवस्था का प्रस्ताव समयानुकूल एवं दूरदर्शी है। इससे समकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों के समाधान हेतु सार्थक संवाद, पारस्परिक समझ एवं व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएँ राज्य एवं समाज के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि क्षेत्रीय सहयोग राज्य की संप्रभुता के सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, समानता तथा राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने मसौदा प्रोटोकॉल में निहित सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार, विशेषज्ञ सहयोग तथा मानव अधिकार संबंधी विषयों पर समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के बीच नियमित संवाद से परस्पर सीखने तथा संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि संरचित शिक्षण, संवाद एवं सीमापार सहभागिता संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने में अत्यंत उपयोगी हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल तथा वरिष्ठ अधिकारी, एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, राज्य निकायों और अन्य संगठनों की पहली परामर्श बैठक में ऑनलाइन भाग लेते हुए।

▶ जारी बैठक का दृश्य

उन्होंने एससीओ के ढाँचे के अंतर्गत गहन सहयोग के प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह परामर्श तंत्र मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित संस्थाओं के बीच संवाद, सहयोग एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर विकसित होगा।

एससीओ के अंतर्गत न्यायिक सहयोग की वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुरूप परामर्शात्मक सहयोग की संभावनाओं पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएँ नियमित रूप से ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं हाइब्रिड माध्यमों में संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा संवाद सत्रों का आयोजन करें, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान संभव हो सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने पिछले 32 वर्षों में मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित लगभग 2.37 लाख मामलों का निस्तारण किया है, जिससे प्राप्त संस्थागत अनुभव अन्य सदस्य देशों के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एससीओ के सभी सदस्य देशों की संस्थाओं के पास समृद्ध अनुभव हैं, जिनसे निरंतर संवाद के माध्यम से सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रथम परामर्शदात्री बैठक पारस्परिक सम्मान, अनुभवों के आदान-प्रदान तथा मानवीय गरिमा के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित क्षेत्रीय मानव अधिकार सहयोग के लिए एक स्थायी एवं व्यावहारिक ढाँचे की आधारशिला सिद्ध होगी।

# ऑनलाइन सहभागिताएँ

- 10 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (गनहरी) के व्यापार और मानव अधिकार कार्य समूह की मासिक बैठक में भाग लिया।

- 11 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने जिनेवा स्थित पैले विल्सन में मानव अधिकारों के लिए वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। यह संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर टुर्क द्वारा विश्वभर में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक नई पहल है।

# राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों तथा उनसे जुड़ी नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें व्यापक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जनकल्याण सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को विधायिका, न्यायपालिका तथा सशक्त एवं सजग मीडिया जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा और अधिक मजबूती प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग देशभर में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय आयोग तथा उनके राज्य स्तरीय समकक्ष निकाय समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों एवं

कल्याण की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। ये सभी संस्थाएँ मिलकर जवाबदेही, न्याय तथा समावेशी कल्याण सुनिश्चित करने वाले प्रभावी प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य विभिन्न राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा समाज में गरिमा, न्याय एवं समानता की संस्कृति को सुदृढ़ करने हेतु किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को रेखांकित करना है।

## अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

जून 2026 के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से अनेक क्षेत्रीय भ्रमण, संस्थागत निरीक्षण, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम तथा शैक्षिक पहलें कीं।

इसके अतिरिक्त, 12 जून 2026 को आयोग ने हिरासत संबंधी मानकों की निगरानी के उद्देश्य से नामसाई तथा दियुन पुलिस थानों का निरीक्षण किया। आयोग की टीम ने दियुन स्थित दो पुनर्वास केंद्रों का भी दौरा कर वहाँ रह रहे व्यक्तियों के कल्याण, पुनर्वास सुविधाओं तथा जीवन-स्थितियों का मूल्यांकन किया। 13 जून 2026 को आयोग ने चकमा हाजोंग एल्डर्स फोरम के सहयोग से एक जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं एवं समुदाय के नेताओं को बाल श्रम, मानव दुर्व्यापार के नेटवर्क तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति

▶ एसपीएसएचआरसी द्वारा चकमा हाजोंग एल्डर्स फोरम के सहयोग से आयोजित मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम।

जागरूक करना था। इसके उपरांत आयोग की टीम ने तेजू पुलिस थाना तथा जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं उनके अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन किया।

18 जून 2026 को, आयोग ने जेल सुधारों की वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए जिला कारागार का निरीक्षण किया और मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अधिकारों तथा कानूनी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए मिडपु स्थित मानसिक अस्पताल का दौरा किया।

19 जून 2026 को, एपीएसएचआरसी ने डेरा नटुंग गवर्नमेंट कॉलेज और डॉन बॉस्को कॉलेज, जुल्लांग के स्नातक छात्रों के लिए एक व्यापक तीन सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 'मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए युवाओं को सशक्त बनाना' विषय पर केंद्रित यह पहल युवा अभ्यर्थियों को

▶ एसपीएसएच आरसी द्वारा तेजू जिला कारागार का निरीक्षण।

मानवाधिकार ढाँचे और पैरवी से संबंधित व्यावहारिक जानकारी एवं अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

## तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

जून 2026 के दौरान तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के चार मामलों में स्वतः से संज्ञान लिया। इनमें खम्मम में चिकित्सीय लापरवाही, भद्राद्री कोठागुडेम में प्रसूता एवं नवजात की मृत्यु, वारंगल में आवारा कुत्तों के हमले की घटना तथा निजामाबाद में एक निराश्रित वृद्ध महिला से संबंधित मामला शामिल था। प्रत्येक मामले में आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

18 जून 2026 को आयोग ने कारागार सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कारागार का निरीक्षण किया तथा मिडपू मानसिक चिकित्सालय का दौरा कर यह सुनिश्चित किया कि रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों एवं निर्धारित विधिक मानक संचालन प्रक्रियाओं का समुचित पालन किया जा रहा है।

# संक्षेप मे समाचार

- 6 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना के भाग्यनगर (हैदराबाद) में इंस्टीट्यूट ऑफ इन्क्लूसिव गवर्नेंस द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 'तेलंगाना राज्य के इतिहास में नए अध्याय के निर्माण में महिलाओं की भूमिका' विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमिता, सामाजिक सेवा तथा सक्रिय सहभागिता के माध्यम से महिलाएँ समाज के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- 12 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा ने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित कारागार एवं सुधार प्रशासन अकादमी में नव नियुक्त कारागार प्रशिक्षु अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से 'कारागारों में भीड़भाड़ की चुनौतियों का प्रबंधन' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कारागारों में भीड़भाड़ के प्रशासन, बंदियों के कल्याण, सुरक्षा तथा सुधारात्मक प्रयासों पर पड़ने वाले

प्रभाव का उल्लेख करते हुए गृह मंत्रालय की 'गरीब बंदियों के लिए सहायता योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कारागार प्रशासन द्वारा बंदियों की गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान करते हुए मानवीय एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इस कार्यक्रम में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के अधिकारी सम्मिलित हुए।

- 13 एवं 14 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अध्ययन शिविर 'अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग – महिला आयाम' में भाग लिया। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन प्रज्ञा प्रवाह तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। उन्होंने 'महिलाएँ और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका' विषय पर व्याख्यान देते हुए महिलाओं के अधिकारों, उनसे जुड़े मुद्दों तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण एवं संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 'भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय महिला', 'महिलाओं पर वैश्विक विमर्श' तथा 'किन्नर : अतीत, वर्तमान एवं भविष्य' जैसे विषयों पर व्याख्यान एवं चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में देश के 18 राज्यों से 116 विशिष्ट महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- 15 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने हैदराबाद के भाग्यनगर में लीगल स्मृति एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'सशक्त भारत एवं मजबूत राष्ट्र के निर्माण में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति न्याय, संवैधानिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों के समाधान तथा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं हस्तक्षेपों की भी जानकारी दी।

- 17 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार तथा संयुक्त पंजीयक श्री इन्द्रजीत कुमार ने दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति के स्थानीय अध्ययन भ्रमण के दौरान आयोजित विचार-विमर्श में आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधेयक, 2025 पर चर्चा हुई। आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने विचाराधीन विषयों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सुझाव एवं अभिमत प्रस्तुत किए।

- 19 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की उप सचिव श्रीमती विनीता ओट्टापुरक्कल कल्लाडा ने नई दिल्ली स्थित यूनेस्को सभागार में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त भारत द्वारा 'जब तक सभी सुरक्षित नहीं' विषय पर आयोजित विश्व शरणार्थी दिवस 2026 कार्यक्रम में भाग लिया।

- 24 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगी ने ओडिशा के पुरी स्थित ब्रह्मगिरि बार एसोसिएशन में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला 'विकसित भारत के लिए मानव अधिकार संरक्षण की प्रासंगिकता' में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन अनिवार्य है, क्योंकि मानवीय गरिमा, समानता, न्याय तथा विधि का शासन समावेशी एवं सतत विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा से लोकतांत्रिक संस्थाएँ सुदृढ़ होती हैं,

सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है तथा विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचता है। इस कार्यशाला ने राष्ट्र निर्माण में विधिक संस्थाओं, नागरिक समाज एवं नागरिकों की मानव अधिकार-आधारित भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

- 4 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में आयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित 'जैव विविधता, जलवायु एवं प्रकृति संरक्षण के वित्तपोषण के साधन के रूप में पारिस्थितिक राजकोषीय अंतरण' विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भाषण दिया। इस कार्यशाला में प्रमुख विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

  श्री भरत लाल ने स्वच्छ वायु, जल सुरक्षा तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिमनदों से पोषित कुछ नदियों को छोड़कर अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियों का उद्गम वन क्षेत्रों से होता है। वनों में संरक्षित 'हरित जल' नदियों के बारहमासी प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति जल सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के हित में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

  भारत द्वारा पारिस्थितिक राजकोषीय अंतरण के क्षेत्र में निभाई जा रही अग्रणी

भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की कर-वितरण व्यवस्था में वन क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल करने से संरक्षण के लिए प्रभावी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने इस व्यवस्था का विस्तार कर जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन क्षमता, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन तथा मापनीय पर्यावरणीय उपलब्धियों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका एवं मानवीय गरिमा के अधिकारों से गहरा संबंध है। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था, बेहतर पारिस्थितिक आँकड़ा प्रणाली, हरित बजट टैगिंग तथा अधिक जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले राज्यों एवं समुदायों को प्रोत्साहित करने से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा यह सिद्ध होगा कि पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

- 24 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा ने नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 'नशा मुक्त भारत के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण' विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में इंटर्न, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, अधिवक्ता, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे। युवाओं में बढ़ती नशीले पदार्थों की लत की चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, हानि न्यूनीकरण तथा आपूर्ति नियंत्रण को सम्मिलित करने वाले मानवीय एवं बहुआयामी दृष्टिकोण पर बल दिया। सत्र में विधिक एवं संस्थागत ढाँचे, नशीले पदार्थों की समस्या की व्यापकता, उपचार संबंधी प्रोटोकॉल, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भावी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त अनधिकृत नशामुक्ति केंद्रों, नशा मुक्त भारत अभियान, एनसीओआरडी, हेल्पलाइन सेवाओं, विधिप्रवर्तन उपायों, नशीले पदार्थों के उभरते रुझानों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

- 25 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक श्री संजीव शर्मा के साथ राजस्थान के जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

- 29 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगी ने झारखंड के रांची में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय मानव अधिकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। सम्मेलन में मानवीय गरिमा की रक्षा, न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने, संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोगात्मक प्रयासों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर न्यायपालिका के सदस्य, विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, नागरिक समाज के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक समकालीन मानव अधिकार विषयों एवं उनके प्रभावी संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों पर चर्चा हेतु एकत्र हुए।

- 29 से 30 जून 2026 तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ. मनीष कुमठ ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों के लिए आयोग के मुख्यालय में आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रशिक्षण सत्रों में पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में आत्महत्या तथा हत्या के मामलों की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम सीडी की समझ, चोटों की प्रकृति तथा उनके साक्ष्यात्मक महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त श्री मनीष सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपराध स्थल की जांच तथा गुजरात में पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के मामलों पर विशेष सत्र आयोजित किया।

- 30 जून 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित रामकृष्ण भारतीय विद्या भवन में 'मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया।

- 30 जून 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने आयोग में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद महासचिव श्री भरत लाल को विदाई दी। उन्होंने जुलाई 2023 में अपना पदभार ग्रहण किया था।आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री लाल ने अध्यक्ष के समग्र मार्गदर्शन में आयोग के प्रशासनिक प्रभाग का कुशलतापूर्वक संचालन किया। उन्होंने संस्थागत समन्वय, क्षमता निर्माण तथा आयोग के कार्यक्रमों और पहलों के लिए प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हुए इसकी कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाया।इस प्रकार, उन्होंने आयोग के दायित्वों और उद्देश्यों की पूर्ति को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवधि के दौरान, आयोग ने मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य किया। इसने राज्य मानवाधिकार आयोगों, सरकार के मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, तथा अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष पर्यवेक्षकों के साथ परामर्श बैठकों, कोर ग्रुप बैठकों, ओपन हाउस चर्चाओं, सम्मेलनों और अन्य जनसंपर्क पहलों के माध्यम से समन्वय को सुदृढ़ किया।इन मंचों ने मानव अधिकारों से संबंधित प्रमुख चिंताओं पर विचार-विमर्श और चर्चा को सुगम बनाया।

आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इंटर्नशिप, कार्यशालाओं, न्यूज़लेटर्स तथा मानवाधिकार जागरूकता पहलों के माध्यम से अपनी पहुँच का भी विस्तार किया। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, युवा सिविल सेवकों, छात्रों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जेल अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना था।

विदेश मंत्रालय के सहयोग से, आयोग ने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना तथा मानव

अधिकारों के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था।

श्री लाल ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एनएचआरसी, भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संवाद एवं सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर श्री लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सार्थक योगदान जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महासचिव के रूप में श्री लाल के योगदान को स्वीकार किया और उसकी सराहना की। उन्होंने श्री लाल के भविष्य के सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की।

# आगामी कार्यक्रम

| | |
|---|---|
| 3 से 14 अगस्त 2026 | 3 से 14 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा। |

# जून 2026 में प्राप्त शिकायतें

| | |
|---|---|
| प्राप्त नई शिकायतों की संख्या | 5,020 |
| निपटाये मामलों की संख्या (पूर्व लंबित मामलों सहित) | 4,768 |
| आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या | 41,392 |

# ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

**शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर**

**टोल फ्री नंबर:** 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

**ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए:** www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

**सामान्य सेवा केंद्र ईमेल:** complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

**मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:**

**इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)**

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

**प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी**

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित।, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC @NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95